
वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2000 - 01







भारतीय मानक ळ्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

ब्यूरो के प्रमुख अधिकारी, कार्यकारिणी समिति एवं महानिदेशालय

(31 मार्च 2001 को)

PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (As on 31 March 2001)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

President

श्री शांता कुमार

Shri Shanta Kumar

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक

Union Minister for Consumer Affairs,

वितरण मंत्री

Food & Public Distribution

उपाध्यक्ष

Vice-President

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद

Shri V. Sreenivasa Prasad

उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण

Minister of State for Consumer Affairs

राज्य मंत्री

& Public Distribution

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति

Chairman, Executive Committee

श्री एस.नौटियाल, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो

Shri S. Nautiyal, DG, BIS

भा मा ब्यूरो महानिदेशालय

BIS Directorate General

मुख्यालय

Headquarters

	~		
महा	1-3	-	17.75

Director General

श्री एस.नीटियाल

Shri S. Nautiyal

अपर महानिदेशक

Technical

श्री पी.दक्षिणामृर्ति

Shri P. Dakshinamurty

मृहर

तकनीकी

Marks

श्री सतीश चन्द्र

Shri Satish Chander

मुख्य सतर्कता अधिकारी

Chief Vigilance Officer

श्रीमती रश्मि चौधरी

Smt. Rashmi Chaudhuri

उपमहानिदेशक

Deputy Directors General

Additional Directors General

तकनीकी-॥

Technical-II

श्री डी. आर. कोहली

Shri D. R. Kohli

तकनीकी-।

Technical-I

श्री हरचरण सिंह

Shri Harcharan Singh

प्रयोगशाला

Laboratory

श्री के.के. गोयल

Shri K. K. Goel

वित्त

Finance

श्री बी.जी. शंकर राव

Shri B. G. Sankara Rao

प्रशासन

Administration

श्री बी.जी. शंकर राव

Shri B.G. Sankara Rao

क्षेत्रीय कार्यालय

Regional Offices

उपमहानिदेशक

Deputy Directors General

मध्य क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र Central Region

श्री डी.आर. कोहली

Shri D. R. Kohli

श्री ओ.पी. खुल्लर

Shri O. P. Khullar

पूर्वी क्षेत्र

Western Region Eastern Region

श्री ए.आर. बनर्जी

दक्षिणी क्षेत्र

Southern Region

Shri A. R. Banerjee Shri M. S. Nagaraja

उत्तरी क्षेत्र

Northern Region

श्री एम.एस. नागराजा श्री वी.के. कपूर

Shri V. K. Kapoor

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report

2000-01







विषय सूची CONTENTS

	1.	Nerview 1
	2.	नीति और आयोजना
		Policy Strategies and Planning
	3.	मानक
		Standards
	4.	प्रमाणन11
		Certification
	5.	प्रयोगशाला सेवाएँ
		Laboratory Services
	6.	सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ
		Vigilance Activities
	7.	सूचना सेवाएँ
		Information Services
1000	8.	प्रशिक्षण सेवाएँ
		Training Services
177	9.	उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ
		Consumer Related Activities
	10.	अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ
		International Activities
	12.	मानव संसाधन विकास
		Human Resource Development
-	13.	कंप्यूटरीकरण एवं कार्यालय स्वचल30
		Computerization and Office Automation
	14.	वित्त, लेखा एवं लेखा-परीक्षा
		Finance, Accounts and Audit










सिंहावलोकन OVERVIEW



वर्ष 2000-01 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने चहुँमुखी प्रगति करना जारी रखा। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 7 230 लाख रुपये की कुल आय सहित आय में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाते हुए भा मा ब्यूरो लगातार बारहवें वर्ष भी अपने आवर्ती और गैरयोजना व्ययों को अपने संसाधनों से पुरा करने में समर्थ रहा।

वर्ष 2000-01 के दौरान उपलब्धियों की प्रमुख विशेषताएँ यह हैं :

- व्यापक विषयों पर 319 राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण किया गया। सार्वजनिक हित से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मानक निम्नलिखित हैं। ओटोमोटिव उपयोग के लिए द्रवित पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) धारक, खाद्यात्र पैकिंग के लिए एचडीपीई के बुने बोरे, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धित और सादा और प्रबलित कंक्रीट। इनके अतिरिक्त गुणता प्रबंध पद्धित पर ISO 9000 श्रृंखला के मानकों का व्यापक पुनरीक्षित संस्करण जो आईएसओ द्वारा दिसम्बर 2000 में प्रकाशित किया गया, जिसे जनवरी 2001 में अपनाया और प्रकाशित किया गया।
- स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग की योजना प्रारंभ की गई।
- IS 13428:1998 के अनुसार पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल वाटर और
 IS 14543: 1998 के अनुसार पैकेजबंद पेयजल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजपत्रित अधिसूचना जारी करने के बाद भा मा ब्यूरों की अनिवार्ग प्रमाणन के अंतर्गत शामिल किए गए।
- परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनएबीएल से उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला (मोहाली) का प्रत्यायन।
 - 2 264 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किये गये (अभी तक किसी भी वर्ष में सबसे अधिक)।
- वर्ष के दौरान 32 नए उत्पादों का प्रमाणन इन वस्तुओं में शामिल उत्पाद हैं यथा भारत का राष्ट्रीय झंडा, हैरिकेन लालटेन, बनावटी पाँदप प्रोटीन खाद्य पदार्थ, संदमक खनिजरोधी तेल इत्यादि।
- भा मा ब्यूरो गुणता पद्धित प्रमाणन योजना के अंतर्गत पहली बार एअर इंडिया का सुरक्षा विभाग शामिल किया गया है।

Bureau of Indian Standards continued to make all round progress during the year 2000-01. With a total income of around Rs 723 million, a growth of more than 7 percent over the income in the previous year, BIS met its recurring and non-plan expenditure from its own resources for the twelfth consecutive year.

The highlights of achievements during 2000-01 are:

- Formulation of 319 National Standards covering wide range of subjects. Some important standards of public interest are on Liquefied Petroleum Gas (LPG) Containers for Automotive Use, HDPE woven sacks for packing food grains, Occupational Health & Safety Management System and Plain & Reinforced Concrete. Besides, the comprehensively revised versions of ISO 9000 series of standards on Quality Management System published by ISO in December 2000 were adopted and published in January 2001.
- Launching of the Scheme for Hallmarking of Gold Jewellery.
- Packaged Natural Mineral Water as per IS 13428:1998 and packaged Drinking Water as per IS 14543:1998 were brought under mandatory certification of BIS with the issue of Gazette notification by Ministry of Health and Family Welfare.
- Accreditation of Northern Regional Laboratory (Mohali) from National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL).
- Grant of 2 264 Product Certification licences (the highest ever in a year so far).
- Certification of 32 new products during the year comprising items such as the National Flag of India, hurricane lantern, texture plant protein foods, inhibited mineral insulating oils, etc.
- Air India's Security Departments covered for the first time under BIS Quality System Certification Scheme.



- विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणत्ता पद्धित पर तैंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- रशियन सेन्टर फॉर टेस्टस एंड सर्टिफिकेशन (आरओएसटीईएसटी),
 मास्को के उपमहानिदेशक डॉ एल.ए. ज्लातकोविच के साथ
 आरओएसटीईएसटी के ही श्री वेलेनटाइन एन. जगरेबेलनीय ने
 भा मा ब्यूरो का दौरा किया और मानकीकरण, मापिकी और प्रमाणन
 पर भारत-रूस उप कार्यकारी समूह के अन्तर्गत रूस के साथ भविष्य
 के सहयोग पर बातचीत की।
- मापिकी, मानक और गुणता प्रमाणन के क्षेत्र में आपसी सहयोग के संबंध में म्यांमार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के शिष्टमंडल ने दौरा किया।
- अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की स्थापना की स्मृति
 में 14 अक्तूबर 2000 को विश्व मानक दिवस समारोह का आयोजन हुआ।
- सितम्बर 2000 में हिन्दी पखवाड़ा समारोह का आयोजन, जिसमें हिन्दी टंकण, आशुलिपि पर विभिन्न प्रतियोगिताएँ और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लेख प्रतियोगिता और हिन्दी प्रदर्शनी आयोजित की गईं।
- 15 मार्च 2001 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस समारोह का आयोजन हुआ।
- 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर 2000 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन हुआ।
- 'सतर्कता भा मा ब्यूरो दृष्टिकोण' शीर्षक से वार्षिक पत्रिका का शुभारंभ हुआ।

THO MIZZIM

एस. नौटियाल (महानिदेशक)

- Holding of the thirty-third International Training Programme on Standardization and Quality Systems for Developing Countries.
- Dr L.A. Zlatkovich, Deputy Director General, Russian Centre for Tests and Certification (ROSTEST), Moscow alongwith Mr Valentine N. Zagrebelniy, also from ROSTEST, visited BIS, and had discussions on future cooperation with Russia under the Indo-Russian sub-working group on standardization, metrology and certification.
- Visit of a three-member delegation comprising senior officials of Ministry of Science and Technology from Myanmar, in connection with mutual cooperation in the fields of metrology, standards and quality certification.
- Celebration of World Standards Day on 14 October 2000 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO).
- Celebration of Hindi Pakhwara in September 2000 where various competitions in Hindi typing, shorthand and write-ups on Science and Technology and an exhibition on Hindi were organized.
- Celebration of the World Consumer Rights Day on 15 March 2001.
- Observance of the 'Vigilance Awareness Week' from 31 October to 4 November 2000.
- Launch of an annual magazine titled 'Vigilance The BIS Vision'.

S. Nautiyal (Director General)



नीति और आयोजना

भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरों वर्ष 1947 से देश में सफलतापूर्वक मानकीकरण आंदोलन संवर्धन को पोषित करता रहा है। भा मा ब्यूरों ने अपने प्रचालन और सेवाओं के उन्नयन की दक्षता बढ़ाने की दिशा में विभिन्न उपाय करने आरंभ किए हैं।

मा मा ब्यूरो में नई नीतियों/निर्देशों के कार्यान्वयन में भा मा ब्यूरो को परामर्श देने के लिए कार्यकारी समिति की वर्ष के दौरान दो बैठकें सम्पन्न हुई। सचिव (उपभोक्ता मामलें) ने भी भा मा ब्यूरो की गतिविधियों के पुनरीक्षण के लिए और भा मा ब्यूरो को अपने प्रकार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए नई नीतियाँ अपनाने की सलाह देने हेतु कुछ बैठकें आयोजित कीं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की गई:

- भा मा ब्यूरो के सरल और दक्षतापूर्ण कार्यप्रचालन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा गठित छह सलाहकार समितियों का पुनर्गठन।
- भा मा ब्यूरो निधियों के बेहतर प्रबंध के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक की नियुक्ति।
- 3. प्रत्येक मानक तैयार करने के लिए समयसीमा नियत करना।
- उच्च उत्पादकता, लागत में कमी और सरल कार्यप्रचालन की प्रप्ति के लिए कुछ तकनीकी समितियों का पुनर्गठन।

योजनागत परियोजनाएँ

नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अन्तर्गत यथा अनुमोदित भा मा ब्यूरों की विभिन्न योजनागत परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए 1 782 लाख रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया। किंतु, वित्त मंत्रालय ने योजनागत योजनाओं की समीक्षा करने के पश्चात् योजनागत निधियों के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान की परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनाओं को वापस ले लिया। इस परियोजना के लिए योजनागत निधियों से भूमि की लागत और भवन निर्माण के लिए 800.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

इस 800.00 लाख रुपयों में से 579.75 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं और नौएडा में प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण में इनका उपयोग किया जा रहा है। शेष 220.43 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2001-02 में प्राप्त होंगे।

मानक

मानक निर्धारण

मानक निर्धारण गतिविधि का जायजा लेने के लिए वर्ष के दौरान प्रबंध और पद्धित, धातुकर्म इंजीनियरी, परिवहन इंजीनियरी और वस्त्रादि इंजीनियरी की विभाग परिषदों की बैठक हुई। इसके अलावा मानकों के मसौदों तथा सम्बद्ध तकनीकी दस्तावेजों पर विस्तार से विचार करने के लिए कई उपसमितियों और कार्यकारी समूहों की 197 विषय समितियों की बैठकें भी की गई।

POLICY STRATEGIES AND PLANNING

The Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body of India has been successfully promoting and nurturing the standardization movement in the country since 1947. BIS has initiated several steps towards enhancing the efficiency of its operations and upgrading of services.

The Executive Committee had two meetings during the year to advise BIS in implementation of new policy/directives. Also Secretary (Consumer Affairs) had a couple of meetings to review the activities of BIS and to advise BIS in adopting new policies for its better functioning. The important initiatives taken during the year are:

- Reconstitution of six advisory committees set up by the Executive Committee to advise for smooth and efficient functioning of BIS.
- Appointment of a Portfolio Manager for better management of BIS funds.
- Fixing of timeframe for the preparation of each standard.
- Restructuring of some of the technical committees for achieving higher productivity, cost reduction and smooth functioning.

Plan Projects

The BIS Plan Projects as approved under the Ninth Five Year Plan (1997-2002) envisaged an outlay of Rs 178.20 million for augmenting the various plan projects. However, the Ministry of Finance after a review of the plan schemes withdrew all the projects under the plan funds except the project for Training Institute. For this project, there is a provision of Rs 80.00 million towards cost of land and construction of the building from the plan funds.

Out of this Rs 80.00 million, Rs 57.957 million has been received and is being utilized in the construction of the Training Institute at Noida. The remaining Rs 22.043 million will be received in the financial year 2001-02.

STANDARDS

STANDARDS FORMULATION

To take stock of standards formulation activity, Division Councils of Management and Systems, Metallurgical Engineering, Transport Engineering and Textile Engineering met during the year. The meetings of 197 Sectional Committees, in addition to large number of subcommittees and working groups, were also held to consider drafts of standards and related technical documents in detail.



वर्ष 2000-2001 के दौरान भा मा ब्यूरो ने 319 मानकों (नए और पुनरीक्षित) का निर्धारण किया। इस तरह 31 मार्च 2001 को लागू मानकों की कुल संख्या 17 600 हो गई (देखें आकृति 1)।

महत्वपूर्ण मानक

वर्ष के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण विषय, जिन पर नए अथवा पुनरीक्षित मानक निर्धारित किए गए, उनकी सूची निम्न प्रकार है:

आईएस 14899:2000 स्वचल उपयोग के लिए द्रवित पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) धारक—विशिष्टि 19946 17113 17235 17410 17600

आकृति 1 लागू मानकों की संख्या (31 मार्च को) Fig. 1 Standards in Force (As on 31 March)

During 2000-01, BIS formulated 319 (new and revised) standards, bringing the total number of standards in force to 17 600 as on 31 March 2001 (see Fig. 1).

Important Standards

Some of the important subjects on which new or revised standards were formulated during the year are listed below:

IS 14899:2000 Liquefied Petroleum Gas (LPG) containers for automotive use — Specification

With growing environmental concern about the use of greener fuels in automobiles and development of liquefied


petroleum gas (LPG) as an alternate source of fuel for automobiles, the Ministry of Petroleum and Natural Gas had desired in July 1999 that an Indian Standard for LPG Containers for Automotive use be formulated by BIS. The work was taken up by BIS on priority and the standard has been published in December 2000. This standard is being used widely. Since it is in

consonance with other International Standards on Automotive LPG Containers, there should not be any difficulty for export of such containers to foreign automobile majors by the LPG Container manufacturers in India.

पर्यावरण के प्रति सरोकार बढ़ने के साथ मोटर-गाड़ियों में हरित ईंघन और मोटर-गाड़ियों के लिए एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग के लिए भी

द्रवित पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) का विकास किया जा रहा है। जुलाई 1999 में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इच्छा व्यक्त की, कि भा मा ब्यूरो स्वचल उपयोग के लिए एल पी जी धारक पर भारतीय मानक का निर्धारण किया जाये। भा मा ब्यूरो द्वारा यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया और दिसंबर 2000 में यह मानक प्रकाशित किया गया। इस मानक का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। चुंकि,

यह स्वचल एलपीजी धारक के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान है। इसलिए भारत के एलपीजी कंटेनरों के निर्माताओं को विदेशी मोटर-कार के प्रमुख निर्माताओं को इन कंटेनरों को निर्यात करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए।



खाद्यात्र पैकेजबंदी के लिए पटसन से इतर बोरों के सीमित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमित को ध्यान में रखते हुए, यह मानक निर्धारित किया गया। इसमें 25 अथवा 50 किया खाद्यात्रों जैसे गेहूं, चावल, दालें, बाजरा और समान अनाजों के पैकेज की क्षमता वाले बोरे शामिल हैं। यह मानक कच्ची सामग्री (एचडीपीई अथवा पीपी) लाइनर टेपों, बुने वस्त्र और बुने बोरों की अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करता है। इस मानक में शामिल एचडीपीई/पीपी के बुने बोरों की अपेक्षाओं में कार्यकारिता के मानदण्ड जैसे परा-बैगनी विकिरण और मौसम के प्रति स्थिरता, टूटन सामर्थ्य, टूट पर दीर्घीकरण, सीवन सामर्थ्य और संरचनात्मकता के विवरण जैसे, आन्तरिक लंबाई और चौड़ाई, सिरे/डीएम, ताने/डीएम, बोरे की संहित और तल सीवन का निर्माण और बोरे का मुँह शामिल हैं।



IS 14887: 2000 Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packing 50 kg/25 kg Foodgrains — Specification

This standard has been formulated, keeping in view the permission granted by the Government of India for limited use of non-jute bags for packing foodgrains. It covers sacks with capacity to pack 25 or 50 kg foodgrains such as wheat, rice, pulses, millet and similar grains. The standard specifies requirements of raw material (HDPE or PP) liner tapes, woven fabric and woven sacks. The requirements of HDPE/PP woven sacks covered in the standard include performance parameters such as ultra-violet radiation and weathering stability, breaking strength, elongation at break, seam strength; and constructional particulars such as inside length and width, ends/dm, picks/dm, mass of sack and construction of bottom seam and mouth of sack.



आईएस 15001 : 2000 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएच एण्ड एस) प्रबंध पद्धति

किसी संगठन के निर्बाध और प्रभावशाली क्रियाकलाप के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा अति महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यकारिता यह सुनिश्चित करते हैं कि औद्योगिक वातावरण दुर्घटनामुक्त हो। इसके लिए खतरों को पहचानने और जोखिमों के मूल्यांकन तथा नियंत्रण के लिए एक सुविन्यस्त दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचे के लिए उद्योगों की भारी माँग को ध्यान में रखते हुए, ब्यूरों ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति पर यह मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया तािक किसी संगठन की गतिविधियों द्वारा कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों, जिनका स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, को संरक्षण देने के लिए ओएच एण्ड एस के प्रबंध के दृष्टिकोण के विकास में संगठन की सहायता की जा सके।

आईएस/आईएसओ 9001 : 2000 गुणता प्रबंध पद्धति-अपेक्षाएँ (दूसरा पुनरीक्षण)

यह मानक गुणता प्रबंध पद्धित की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है जिसका उपयोग किसी संगठन द्वारा ग्राहकों और नियामक अपेक्षाओं को पूरा करने वाले उत्पादों को निरन्तर उपलब्ध कराने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए हो सके। इसका लक्ष्य इन अपेक्षाओं की पूर्ति द्वारा ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना है। प्रमाणन निकायों सिहत आन्तरिक और बाह्य पक्षों द्वारा उपभोक्ता के नियामक और संगठन की स्वयं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संगठन की अपनी अपेक्षाओं के मूल्यांकन में भी उपयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान आईएस/आईएसओ 9001, 9002 और 9003 के सभी उपयोगकर्ताओं को अब केवल एक मानक आईएसओ 9001:2000 की ही एकल अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। अब से गुणता पद्धित प्रमाणन के लिए आईएसओ परिवार का एक ही मानक लागू होगा।

आईएस 456 : 2000 सादा और प्रबलित कंक्रीट की रीति संहिता (चौथा पुनरीक्षण)

यह भारतीय मानक आधारभूत मानकों में से एक है जो व्यापक रूप से इंजीनियरी के विद्यार्थियों द्वारा उनके पाठ्यक्रम/संकाय, वैज्ञानिकों, अभिकल्पना और संरचना इंजीनियरों, वास्तुकारों, भवन निर्माताओं/निर्माण एजेन्सियों इत्यादि द्वारा समान रूप से उपयोग में लाया जाता है।

इस पुनरीक्षण की विशिष्ट उपलब्धियों में मजबूती के पहलू में व्यापक परिवर्तन शामिल करना है। संरचनाओं के विनष्ट होने के संबंध में अभी हाल ही में किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संरचना के निर्माण की अवस्था में स्थायित्व पर उपयुक्त विचार न करने से संरचना नष्ट हुई। संरचना की मजबूती विभिन्न भौतिक और रासायिनक घटकों के कारण प्रभावित होती है। इन घटकों का ध्यान पर्यावरण के सही मूल्यांकन, सही सामग्री और मिश्रण का चुनाव, पर्याप्त संरचनात्मक अभिकल्पना, संरक्षी कोटिंग का प्रावधान और निवारक रखरखाव द्वारा रखा जा सकता है। इसके लिए अभिकल्पना संहिता में पद्धतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तदनुसार स्थायित्व संबंधी खंड में सभी घटकों को विस्तार से शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है तािक इस प्रकार के घटकों को विस्तार के प्रति चक्र की समग्र लागत को देखते हुए निर्माण के दौरान संरक्षण दिया जाए।

IS 15001:2000 Occupational Health and Safety (OH&S) Management System

Health and safety is one of the most important aspects of an organization's smooth and effective functioning. Good health and safety performance ensures an accident free industrial environment. This demands adoption of a structured approach for the identification of hazards and evaluation and control of risks.

Considering this fact and a great demand from the industry for a comprehensive framework for occupational health and safety, Bureau has decided to formulate this Standard on occupational health and safety management systems in order to assist the organizations to develop an approach to management of OH&S in such a way as to protect employees and others whose health and safety may be affected by the organization's activities.

IS/ISO 9001:2000 Quality Management Systems— Requirements (second revision)

This standard specifies requirements for a Quality Management System that can be used by an organization to demonstrate its ability to consistently provide product that meets customer and applicable regulatory requirements. It aims to enhance customer satisfaction by meeting these requirements. It can also be used by internal and external parties including certification bodies, to assess organization's ability to meet customer regulatory and organization's own requirements. All users of existing IS/ISO 9001, 9002 and 9003 will now need to migrate to the single requirements standard, IS/ISO 9001:2000. It will therefore be the only standard in ISO family applicable to Quality System Certification.

IS 456:2000 Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete (fourth revision)

This Indian Standard is one of the basic standards, extensively used by engineering students in their curriculum/faculty, scientists, design and construction engineers, architects, builders/construction agencies, etc, alike.

The distinct landmark of this revision has been to introduce elaborate changes in durability aspects. Studies of distresses in structures in recent past clearly indicated that the failures had been more due to lack of proper durability considerations during construction stage of a structure. Durability of a structure is affected due to various physical and chemical factors. These factors can be taken care of by proper assessment of environment, selection of right materials and mixes, adequate structural design, provision of protective coating and preventive maintenance. This called for systems approach in the design code. Accordingly, durability clause has been enlarged to cover all the factors in details so as to bring in-built protection from such factors keeping in view overall life cycle cost of the structure.



मानकों का पुरीक्षण और उनको अद्यतन बनाना

मानकों का पुनरीक्षण जब आवश्यकता समझी जाए, तब, किन्तु कम से कम पांच वर्षों में एक बार किया जाता है। वर्ष के दौरान 3 866 मानकों के पुनरीक्षण के पश्चात् 3 794 मानकों को पुनर्पुष्ट किया गया, 317 मानकों को पुरीक्षण के लिए लिया गया और 92 मानकों को वापस लिया गया। इनके अतिरिक्त मानकों में 291 संशोधनों को अनुमोदित किया गया।

मानकों को समरूप करना

भूमंडलीय व्यापार की वृद्धि के लिए और व्यापार के तकनीकी अवरोधों के हटने से भारतीय मानकों को आईएसओ/आईईसी और ईईसी मानकों के साथ समरूप करना आवश्यक हो गया है।

31 मार्च 2001 को 2796 भारतीय मानकों को आईएसओ/आईईसी मानकों के साथ समरूप किया गया जिनमें से 1556 मानक दुहरी संख्या वाले और 1240 मानक तकनीकी रूप से समान हैं। इनके अतिरिक्त 222 भारतीय मानक ईईसी निर्देशों/ईएन मानकों के साथ भी समरूप किए गए।

मानक संवर्धन

भारतीय मानकों की शैक्षिक उपयोगिता

तकनीकी संस्थानों के आज के विद्यार्थी कल के प्रबंधक हैं और उन्हें मानकीकरण और गुणता पद्धित के विषयों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, तािक वे अपने द्वारा दी जा रही वस्तुओं और सेवाओं में गुणता लाने में पूर्णतः तैयार हों। इसे महसूस करते हुए भा मा ब्यूरो लगातार मानकीकरण के संदेश को प्रचारित करने के विशिष्ट उद्देश्य से और संकाय सदस्यों और वरिष्ठ विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम भारतीय

मानकों की जानकारी देने के लिए मानकों की शैक्षणिक उपयोगिता पर कार्यक्रम आयोजित करता है। जो संकाय सदस्य शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, यदि उन्हें मानकों के महत्त्व और उपलब्धता से उपयुक्ततः अवगत कराया जाए तो वे मानकों के कार्यान्वयन का माध्यम बन सकते हैं।

वर्ष के दौरान मानकों की शैक्षिक उपयोगिता पर केन्द्रीय विद्यालय, नई दिल्ली, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.), इंजीनियरिंग कालेज, कोटा (राजस्थान), रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, जालंधर (पंजाब), पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि एवं अनुसंधान संस्थान, कराईकल (संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी), निरमा प्रौद्योगिकी संस्थान, अहमदाबाद (गुजरात), होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रीशन, चेन्नई (तमिलनाडू) और क्रिश्चन मेडिकल कालेज, वेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश) के लिए 8 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उद्योगों हेतु जागरूकता कार्यक्रम

जागरूकता कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लघु उद्योगों में मानकीकरण और गुणता पद्धति की अवधारणा का प्रचार करना है। भा मा ब्यूरो द्वारा आयोजित

Review and Updating of Standards

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. After review of 3 866 standards, 3 794 standards were reaffirmed, 317 were taken up for revision and 92 were withdrawn during the year. In addition, 291 amendments to standards were approved.

Harmonization of Standards

The growth of global trade and elimination of technical barriers to trade has necessiated harmonization of Indian Standards with ISO/IEC and EEC Standards.

As on 31 March 2001, the total number of Indian Standards harmonized with ISO/IEC Standards were 2 796, out of which 1 556 standards are Dual Number and 1 240 standards are Technically Equivalent. In addition of these, 222 Indian Standards were also harmonized with EEC Directives/EN Standards.

STANDARDS PROMOTION

Educational Utilization of Indian Standards

The students of technical institutions of today are the managers of tomorrow, and they need to be trained in the subjects of standar-dization and quality system, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services delivered by them. Recognizing this, BIS has been regularly conducting programmes on Educational Utilizations of Indian Standards (EUS) with the

specific aim to propagate the message of standardization and to make the faculty members and senior students aware of the latest Indian Standards in various fields. The faculty imparting the education, if properly sensitized about the importance and availability of standards, can be the vehicle for implementation of standards.

During the year, 8 programmes on Educational Utilization of Indian Standards were organized for Kendriya Vidyalaya, New Delhi, Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal (M.P.), Engineering College, Kota (Rajasthan), Regional Engineering College, Jalandhar (Punjab), Pandit Jawahar Lal Nehru College of Agriculture & Research Institute, Karaikal (UT of Pondicherry), Nirma Institute of Technology, Ahmedabad (Gujarat), Institute of Hotel Management Catering Technology & Applied Nutrition, Chennai (Tamil Nadu), and Christian Medical College, Vellore (Andhra Pradesh).

Industry Awareness Programmes

The basic aim of the Awareness Programme is to propagate the concept of standardization and quality systems





इस प्रकार के कार्यक्रमों में व्याख्यान, विचार-विमर्श और वीडियो फिल्म शो शामिल होते हैं, जिनमें सहमागियों को मानकीकरण की अवधारणा, गुणता पद्धति, उत्पाद प्रमाणन और भा मा ब्यूरो की अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस प्रकार के कार्यक्रम भा मा ब्यूरो उस क्षेत्र के क्षेत्रीय उद्योग संघों और लघु उद्योग सेवा संस्थानों की सहायता से आयोजित करता है।

वर्ष के दौरान अहमदाबाद, एरणाकुलम, कोलकाता, पटना और त्रिचूर में इस प्रकार के पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए।



among small scale industries. Such programmes organized by BIS consist of lectures, discussions and video film shows, where the participants are exposed to the concept of standardization, quality systems, product certification and other BIS activities. These programmes are organized by BIS in association with local Industry associations and Small Industries Service Institute of that area.

During the year, five such programmes were organized at Ahmedabad, Ernakulam, Kolkata, Patna and Trichur.

राज्य स्तरीय समितियाँ

मानकों का प्रमावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और देशभर में मानकीकरण और गुणता पद्धित का संदेश प्रचारित करने के लिए राज्य स्तर पर स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए 27 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में मानकीकरण और गुणता पद्धित पर राज्य स्तरीय समितियाँ (एसएलसी) बनाई गई हैं। 2000-01 के दौरान एसएलसी की बैठकें आसाम, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा में आयोजित की गईं। इन बैठकों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा भा मा ब्यूरो की प्रमाणित सामग्री के क्रय, कार्मिकों को प्रशिक्षण, गुणता नियंत्रण आदेशों का प्रवर्तन, उपभोक्ता शिक्षा और राज्य सरकारों द्वारा उत्पाद तथा गुणता पद्धित प्रमाणन लाइसेंस लेने वाली इकाइयों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया गया।

विश्व मानक दिवस

भा मा ब्यूरो द्वारा अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में विश्व मानक दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम और "शान्ति और समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक" विषय पर तकनीकी संगोष्ठी नई दिल्ली में 13 अक्तूबर 2000 को संपन्न हुई, जिसमें उद्योगों, वाणिज्य, उपभोक्ताओं, शिल्प वैज्ञानिकों, सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों इत्यादि विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

State Level Committees

In order to have a permanent mechanism at the state level to ensure effective implementation of standards and to propagate the message of standardization and quality systems all over the country, State Level Committees (SLCs) for Standardization and Quality Systems have been set up in 27 states/union territories. During 2000-01, meetings of SLCs of Assam, Delhi, Gujarat, Himachal Pradesh, Orissa, Rajasthan, Sikkim and Tripura were held. During these meetings, emphasis was laid on the purchase of BIS certified material by the State Governments, training of personnel, enforcement of quality control orders, consumer education and granting more incentives by State Governments to units holding product as well as quality system certification licences.

World Standards Day



educational Institutions, etc.

The World Standards Day was celebrated by BIS at its headquarter at New Delhi. The main function and technical seminar on International Standards for Peace and Prosperity was organized at New Delhi on 13 October 2000, which was attended by around 250 delegates representing various organizations from commerce. industry, consumers, technologist, Government departments,

विश्व मानक दिवस भा मा ब्यूरो के कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों और अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे, राजकोट और त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालयों में भी मुख्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन करके और भा मा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर मनाया गया।

The World Standards Day was also celebrated at Regional offices of BIS located at Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices of the Bureau located at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Faridabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Patna, Pune, Rajkot and Trivandrum by organizing seminars on the theme and exhibition of BIS certified products.



राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और सेवा संगठनों को उत्कृष्टता के लिए संघर्ष करने और भारत में गुणता आन्दोलन में अग्रणी समझे जाने वालो को विशेष मान्यता देने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार की स्थापना की गई। यह पुरस्कार देने का उद्देश्य भारतीय उद्योगों के गुणता कार्यक्रमों में सहभागिता और उनमें अभिरुचि व जुड़ाव पैदा करने और गुणता के उच्च स्तरीय उत्पाद और सेवा देने और हमारे उद्योगों को घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करना है।

वर्ष के दौरान वर्ष 1999 के पुरस्कार के आवेदनों का प्रक्रमण पूरा किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार समिति ने पुरस्कार विजेताओं और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों की सूची को अंतिम रूप दिया, जिन्हें समारोह में पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।

सूचना और लघु उद्योग (एसएसआई) सुविधा कक्ष

भा मा ब्यूरो मुख्यालय में वर्ष 1977 से सूचना और लघु उद्योग (एसएसआई) सुविधा कक्ष कार्य कर रहा है जो लगातार लघु और मंझोले उद्यमियों की उनकी विभिन्न पूछताछों का उत्तर देकर सेवा करता है। यह सुविधा कक्ष एकल खिड़की के रूप में, मुख्यतः भा मा ब्यूरो की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के निम्नलिखित क्षेत्रों में लघु उद्योगों को अद्यतन सूचना/ सहायता प्रदान करता है:

- मानक (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय)
- उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना
- गुणता पद्धित प्रमाणन योजना (ISO 9000)
- पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (ISO 14000)
- खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रान्तिक नियंत्रण बिन्दू (एचएसीसीपी)
- स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना
- विदेशी निर्माताओं और आयातित उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना
- पुस्तकालय सेवाएँ
- जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रयोगशाला और अंशशोधन सेवाएँ
- विविध सूचना

भा मा ब्यूरो सेवाओं के अलावा सुविधा कक्ष एसएसआई उद्यमियों द्वारा अपेक्षित अन्य सूचनाएँ जैसे आईईसीक्यू और आईईसीईई-सीबी योजना, एगमार्क के बारे में, डीसीएसएसआई, एसआईडीबीआई, पेटेन्ट पंजीकर्ता, माप और तोल, एसईआई इत्यादि पर प्रदान करता है।

Rajiv Gandhi National Quality Award

Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA) was instituted by the Bureau of Indian Standards with a view to encouraging Indian manufacturing and service organizations to strive for excellence and giving special recognition to those who are considered to be the leaders of quality movement in India. This award is intended to generate interest and involvement of Indian Industry in quality programmes, drive our products and services to higher levels of quality and equip our Industry to meet the challenges of domestic and international markets.

During the year, processing of applications for awards for the year 1999 was completed. The National Awards Committee finalized the award winners and recipients of commendation certificates, which will be presented in the Award function.

Information and SSI Facilitation Cell

Information and SSI Facilitation Cell operating at BIS Headquarters since 1997 continued to serve small and medium scale entrepreneurs for their various queries. This Facilitation Cell, as a single window provided variety of updated information/assistance particularly to small scale sectors in the following areas of BIS activities — national as well as international:

- Standards (National & International)
- Product Certification Marks Scheme
- Quality System Certification Scheme (ISO 9000)
- Environmental Management System Certification Scheme (ISO 14000)
- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
- Hall Marking Scheme of Gold Jewellery
- Certification Scheme for Foreign manufacturers and for imported products
- Library Services
- Awareness and Training Programme
- Laboratory and Calibration Services
- Miscellaneous Information

In addition to BIS Services, Facilitation Cell also provided other information required by SSI entrepreneurs, like IECQ & IECEE-CB scheme, about Agmark, DCSSI, SIDBI, Registrar of Patent, Weights & Measures, SEI, etc.



भारतीय मानक सीडी-रोम पर भी विभागवार एवं पूरे सेट के रूप में उपलब्ध हैं। वर्ष 2000-01 के दौरान लीजिंग पर दिए गए भारतीय मानकों की 69.0 लाख रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हुई।

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

वर्ष 2000-01 के दौरान भा मा ब्यूरो ने उत्पाद प्रमाणन योजना में उल्लेखनीय प्रगति की। वर्ष के दौरान 2 264 (किसी भी एक वर्ष में अभी तक सर्वाधिक) नए लाइसेंस जारी किए गए (देखें आकृति 2) जिनमें से 32 उत्पादों के लिए पहली बार इस योजना में लाइसेंस जारी किए गए। ये उत्पाद हैं-भारत का राष्ट्रीय ध्वज (सूती खादी), लालटेन, बिजली पंखों की मोटर के संधारित्र, मिथाइल पैराथियान (तकनीकी), हवा संचारी किस्म के बिजली के पंखे और रेगुलेटर, सूक्ष्मदर्शी-स्लिप और स्लाइड : भाग 1 जॉ क्रशर - सामान्य

अपेक्षाएं, सूक्ष्मदर्शी स्लिप, फौसफामिडोन (तकनीकी) ऑक्सीडेमिटोन-मिथाइल तकनीकी सान्द्र फासलोन घूलन चूर्ण अलाक्लोर दानेदार, फेन्थियोन दानेदार, सामान्य प्रयोजन के वॉल्व, वाल्व एक्सट्रजन कुकिंग द्वारा पौधों से प्राप्त प्रोटीन से बनी खाद्य सामग्री तहखाना (स्ट्रॉगरूम) दरवाजेः भाग 1 विशिष्टि. निश्चेतक उपकरण, निषिद्ध खनिजरोधी तेल, अल्फानेफ थाइल एसिटिक अम्ल तकनीकी, पॉलीप्रोपाइलीन दिवन, कीटनाशी -द्रिआडिमेफोन डब्ल्यूपी, फ्ल्बालिनेट ईसी. कीटनाशी-एनिलोफोस.

पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल वाटर, 2,4-डी इथाइल इस्टर दानेदार, कीटनाशी-मेटालेक्सिल डब्ल्यूएस, मेटालेक्सिल गैंनकोजेब डब्ल्यूपी, वाइंडिंग तार की विशिष्ट किस्में भाग 28 पोलियस्टर माइड, इनैमलकृत आयताकार तांबे के तार, संवर्ग 180, कीटनाशी विनोमाइल डब्ल्यूपी, डेल्टामैथिन एफ, कृषि अनुप्रयोगों के लिए सिंगल फेज स्माल फेज स्माल एसी, अपकेन्द्रीय पंपों की बिजली की मोटरें, पूर्व लेमिनेट किए मध्यम घनत्त्व फाइबर बोर्ड और कीटनाशी फिनारीमोल ईसी।

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत जिन मानकों के अनुरूप उत्पाद प्रमाणित किए गए हैं, उनकी कुल संख्या 1 042 तक पहुँच गई हैं। प्रमाणन की आय में इस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि हुई जिससे यह आय 6 376.40 लाख रुपये हो गई।

31 मार्च 2001 को कुल लागू लाइसेंसों की संख्या 15 083 तक पहुंच गई (देखें आकृति 3)।

The Indian Standards are also available on CD-ROM, the complete set as also department-wise. The royalty received on leasing of Indian Standards during 2000-01 was Rs 6.90 millions.

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

Considerable progress was made in BIS product certification scheme during 2000-01. During the year, 2 264 (the highest ever in a year) new licences were granted (see Fig.2), which includes 32 products covered for the first time under the scheme. These products are The National Flag of India (Cotton Khadi), hurricane lanterns, capacitor for electric fan motors, methyl parathion (technical), air circulator type electric fans and regulators, microscopes — slips and slides: Part 1 Jaw crushers -

general requirements, microscope slips, phosphamidon (technical), oxydemeton - methyl technical concentrates, phosalone dusting powder, alachlor granules, fenthion granules, general purpose ball valves, textured plant protien foods prepared by extrusion cooking, vault (strong room) Part doors: specification, anesthetic apparatus, inhibited mineral insulating oils, alpha naphthyl acetic acid (technical), polypropylene twine, pesticide-triadimefon

1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01

आकृति 2 भा मा ब्यूरो द्वारा दिए गए उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस Fig. 2 BIS Product Certification Licences Granted

WP, fluvalinate EC, pesticide - anilophos, packaged natural mineral water, 2,4-D ethyl ester granules, pesticide - metalaxyl WS, metalaxyl mancozeb WP, particular types of winding wires:Part 28 polesteramide enamelled rectangular copper wire class 180, pesticide - benomyl WP, deltamethrin F, single phase small phase small a.c. electric motors for centrifugal pumps for agricultural applications, prelaminated medium density fiber board and pesticide - fenarimol EC.

The total number of Indian Standards thus covered under BIS Certification Marks Scheme against which products have been certified rose to 1 042. Income from certification rose to an all time high of Rs 637.64 million.

The total number of operative licences as on 31 March 2001 rose to 15 083 (see Fig. 3).



उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत लागू लाइसेंसों/आवेदकों का मूल्यांकन लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनिटर करने के लिए वर्ष के दौरान 45 955 निरीक्षण दौरे आयोजित किए गए और स्वतंत्र परीक्षण के लिए 31 975 नमूने लिए गए।

प्रमाणन प्रचालन का पुनरीक्षण

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रचालन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाइसेंसधारियों के साथ नियमित रूप से पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की गई। इस वर्ष

लाइसेंसधारियों के साथ पुनरीक्षण बैठकें सीमेंट, बिजली के वाटर हीटर, सीआई पाइपों और फिटिंगों, जीएलएस लैम्प, एमसीआई पाइप फिटिंग, पैराफिन मोम, गहरे कुएँ से पानी निकालने के हथ बरमें और घटक एलपीजी से जलने वाले उपकरण, वाटर पम्प और सौर फ्लैट प्लेट कलैक्टर, एलपीजी वाल्व और रेगुलेटर, रबर उत्पाद, हॉजरी उत्पाद, पावर प्रणाली के लिए शन्ट संधारित्र, अग्नि शामक और नमक के लिए आयोजित की गई।

आयातित उत्पादों का प्रमाणन

मा मा ब्यूरो आयातित सामान पर प्रमाणन के लिए दो योजनाएँ चला रहा है, पहली विदेशी निर्माताओं के लिए और दूसरी भारतीय आयातकों के लिए । वर्तमान में विदेशी निर्माताओं के लिए योजना के अंतर्गत सात लाइसेंस प्रचालन में हैं। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो ने भारतीय आयातकों के लिए योजना के अंतर्गत पहला लाइसेंस प्रचान किया है। यह अपेक्षा की जाती है कि नवम्बर 2000 में विदेश ब्यापार महानिदेशालय

(डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना जिसके अंतर्गत विदेशी निर्माताओं के लिए 133 उत्पादों पर भारत में प्रवेश करने से पहले भा मा ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है, के बाद यह गतिविधि बढ़ेगी।

स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग

सोने और बहुमुल्य धातुओं पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थायी समिति की 1 जनवरी 1999 को सम्पन्न बैठक में भा मा ब्यूरो की भारत में स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाने के लिए एकमात्र एजेन्सी के रूप में पहचान की गयी। तब से आवश्यक मूलभूत ढांचे के विकास और आभूषणों के व्यापार को हॉलमार्क योजना में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए




Fig. 3 Number of Operative Licences (as on 31 March)

Assessment of Operative Licences/Applicants under Product Certification Scheme

In order to monitor the operation of licences, a total number of 45 955 inspection visits were organized during the year and 31 975 samples were drawn for independent testing.

Review of Certification Operation

In order to get feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees representing significant fields of operations are

organized on a regular basis. This year, review meetings with licensees were organized covering the areas of Cement, Electric Water Heater, C.I. Pipes & Fittings, Paraffin Wax, Deepwell Handpump & Components, GLS Lamps, M.C.I. Pipe Fittings, LPG Burning Appliances, Water Pumps, Solar Flat Plate Collectors, LPG Valves & Regulators, Rubber Products, Hosiery Products, Shunt Capacitors for Power System, Fire Extinguishers and Salt.

Certification of Imported Products

BIS is operating two schemes for certification of imported goods, one for foreign manufacturers and other for Indian importers. Presently, seven licences are in operation under Foreign Manufacturers Scheme. During the year, BIS granted the first licence under the Indian Importers Scheme. It is expected that this activity would increase in view of notification issued by Directorate General of Foreign Trade (DGFT) in

November 2000 making it mandatory for foreign manufacturers of 133 products to obtain BIS Certification before they reach Indian soil.



Hallmarking of Gold Jewellery

The Standing Committee of RBI on Gold and Precious metals in its meeting held on 1 January 1999 identified BIS as sole agency in India to Hallmark the Gold jewellery. Since then efforts were made to develop necessary infrastructure and to motivate the jewellery trade to join Hallmarking Scheme. The Scheme for Hallmarking of Gold



गए। स्वर्ण आमूषणों पर हॉलमार्क की योजना का शुभारंभ औपचारिक रूप से 11 अप्रैल 2000 को हुआ। पर्ष के दौरान, आमूषणों के लिए 200 से अधिक लाइसेंस मंजूर किए गए और 7 हॉलमार्क केन्द्रों को मान्यता दी गई। लगभग 95 000 स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया

गया। हॉलमार्क योजना के बारे में जौहरियों को शिक्षित करने के लिए विश्व स्वर्ण परिषद के सहयोग से जौहरियों की बैठकें भी आयोजित की गई।



Jewellery was formally launched on 11 April 2000. During the year, more than 200 licences have been granted to jewellers and 7 hallmarking centres have been recognized. About 95 000 Gold Jewellery articles have been hallmarked. Jewellers' meets

were also organized in association with World Gold Council to educate jewellers about the Hallmarking Scheme.

पैकेजबंद पानी का प्रमाणन

IS 13428 : 1998 के अनुसार पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल वाटर और

IS 14543 : 1998 के अनुसार पैकेजबंद पेयजल को इस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के साथ इसे भा मा ब्यूरो प्रमाणन के अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणन में शामिल किया गया। उपरोक्त अधिसूचना 29 मार्च 2001 से प्रभावी हुई। भौतिक-रासायनिक, रासायनिक-सूक्ष्म जैविकीय और रेडियो-धर्मिता अवशिष्ट परीक्षा के समय इस प्रमाणन योजना में निर्माण के दौरान कठोर स्वास्थ्यकर

रीतियाँ अपनाना सुनिश्चित किया गया। मा मा ब्यूरो ने अविलम्ब लाइसेंस मंजूर करने के लिए आवेदन पत्रों के प्रक्रमण के लिए पर्याप्त उपाय किए। 31 मार्च 2001 को भा मा ब्यूरो को पैकेजेबंद पेयजल के लिए 169 आवेदन पत्र और पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल वाटर के लिए 9 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 31 मार्च 2001 को पैकेजबंद पेयजल के लिए 13 लाइसेंस और पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल वाटर के लिए 3 लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

Certification of Packaged Water

Packaged Natural Mineral Water as per IS 13428:1998

and Packaged Drinking Water as per IS 14543:1998 brought under mandatory certification of BIS this year with the Gazette issuance of Notification by Ministry of Health and Family Welfare. The above notifications came into effect from 29 March 2001. Following of strict hygienic practices during manufacture and the testing of products for physico-chemical, chemical,

microbiological and also radio-active residues are ensured in this certification scheme, BIS took adequate steps to process the applications for grant of licence expeditiously. As on 31 March 2001, BIS had received 169 applications for packaged drinking water and 9 applications for packaged natural mineral water. As on 31 March 2001, 13 licences were granted for packaged drinking water and 3 licences were granted for packaged natural mineral water.



अन्य प्रमाणन निकायों की ओर से प्रमाणन

अन्य राष्ट्रीय मानक और प्रमाणन निकायों की ओर से प्रमाणन गतिविधियों में भा मा ब्यूरों की सहभागिता में भी वृद्धि दर्ज की गई। कैनेडियन स्टैण्डर्इस एसोसिएशन (सीएसए) के अंतर्गत लाइसेंसधारियों की संगत संख्या 79 है। अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की आईईसी की प्रमाणन योजना (आईईसी) के अंतर्गत भा मा ब्यूरो राष्ट्रीय मानक संगठन (एनएसओ) और राष्ट्रीय प्राधिकृत संस्थान (एनएआई), दोनों है। इस योजना के अंतर्गत निर्माता यूनिटों के लिए 33 और 4 प्रयोगशालाओं का अनुमोदन है। आईईसी द्वारा ही प्रचालित आईईसीईई-सीबी योजना के अंतर्गत, भा मा ब्यूरो राष्ट्रीय प्रमाणनकर्त्ता निकाय (एनसीबी) है और अल्प वोल्टता स्विचगीयर के क्षेत्र में दो प्रमाण-पत्र लागू हैं।

प्रवर्तन संबंधी गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के विकास और लोकप्रियता के परिणामस्वरूप उपभोक्ता और संगठित खरीददार भा मा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की मांग कर रहे हैं और मानक मुहर के दुरूपयोग के मामले भी बढ़ रहे हैं।

Certification on Behalf of Other Certifying Bodies

BIS participation in certification activity on behalf of other national standards and certifying bodies also registered an increase. The corresponding number of licensee units under Canadian Standards Association (CSA) is 79. Under the IECQ certification scheme of the International Electrotechnical Commission (IEC), BIS is both the National Standards Organization (NSO) and the National Authorized Institution (NAI). The number of approvals granted under the scheme comprises of 33 manufacturing units and 4 laboratories. Under the IECEE-CB scheme, also operated by the IEC, BIS is the National Certifying Body (NCB) and two certificates in the field of low voltage switchgear are in operation.

Enforcement Activities

With the growth and popularity of the BIS Certification Marks Scheme resulting in consumers and organized purchasers insisting on BIS certified products, instances



भा मा ब्यूरो किसी व्यक्ति/कम्पनी जो भा मा ब्यूरो की लाइसेंसी नहीं है, द्वारा मानक मुहर के दुरूपयोग का निवारण करने अथवा उसकी हूबहू नकल को रोकने के प्रति वचनबद्ध है। सामान्य उपभोक्ता को भा मा ब्यूरो मानक मुहर का दुरूपयोग करने वालों के द्वारा ठगने से रोकने के संदर्भ में वर्ष के दौरान प्रवर्तन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया।

वर्ष के दौरान, विवेकपूर्ण प्राथमिक जांच पड़ताल करने के बाद 41 मामले दर्ज किए गए। ये मामले एलपीजी गैस चूल्हों, एलपीजी रबर टयूब, यूपीवीसी पाइप, सीमेंट, जल सह यौगिक, वेल्डिंग इलैक्ट्रोड, मिनरल वाटर इत्यादि से संबंधित हैं। मानक मुहर के दुरूपयोग के संबंध में साक्ष्य जुटाने के लिए 23 तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाये गए थे। मा मा ब्यूरो ने विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों से संबंधित जांच-पड़ताल, तलाशी और जब्ती अभियानों की प्रवर्तन गतिविधियों इत्यादि के दौरान लिए गए नमूनों के परीक्षण में विभिन्न राज्यों की प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी इन्युट, जनसंपर्क और सहायता प्रदान की।

भा मा ब्यूरो ने देश में अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से विपणन संबंधी राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण/प्रचार अभियान चलाया। भा मा ब्यूरो के अधिकारियों ने नकली ISI मुहर लगे उत्पादों की बिक्री के बारे में स्थिति जानने के लिए देश के प्रमुख बाजार स्थलों का दौरा किया। इस सर्वेक्षण में शामिल वस्तुएं थीं—सीमेंट, मृदु इस्पात निलयाँ एलपीजी गैस चूल्हे, बिजली के साधित्र, अग्निशामक, लेटेक्स फॉम के उत्पाद और प्रेशर कुकर आदि। डीलरों के साथ-साथ ग्राहकों/उपभोक्ताओं को भा मा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों को खरीदने के लाभों के बारे में शिक्षित किया गया और मानक मुहर के दुरूपयोग के सामान्य प्रकारों से और भा मा ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उल्लंघन से अवगत कराया गया उन्हें असली ISI मुहर लगे उत्पादों के मुख्य लक्षणों से भी अवगत कराया गया। सर्वेक्षण के दौरान भा मा ब्यूरो की मानक मुहर के दुरूपयोग के कुछ संदिग्ध मामलों की जानकारी मिली जिनको आगे की जांच-पड़ताल के लिए लिया गया है। दुरूपयोग के अपराध को संझैय और शमनीय और दंड को अधिक गुरूतर करने के दृष्टिकोण से भा मा ब्यूरो अधिनियम, 1986 को पुनरीक्षित किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, भा मा ब्यूरों ने भा मा ब्यूरों अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 11 फर्मों/पार्टियों के विरूद्ध एचडीपीई पाइप, गैर-निर्जीणुकृत रोल की गई पट्टी, एफटीएल स्टार्टर, मोनो ब्लाक पम्प, प्लाईवुड शीट, लाँक स्टॉपर (पीतल) रबड़ीकृत नारियल की शीट, घरेलू गैस चूल्हे जैसी वस्तुओं पर भा मा ब्यूरो मानक मृहर के उल्लंघन के लिए अभियोजन की कार्रवाई की गई। वर्ष के दौरान 11 मामलों का निर्णय हुआ। न्यायालय ने 7 मामलों में भा मा ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत अर्थ दण्ड/कैद अथवा दोनों के लिए सिद्धदोष ठहराया और 4 मामलों में आरोपियों के बारे में जानकारी न मिल पाने के कारण भा मा ब्यूरो ने ये मामले वापस लिये। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि मैसर्स ईस्टर्न फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर्स, गुवाहाटी के मामले में उसके मालिक/सहभागी को न्यायालय ने 15 000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी। यह राशि न दे पाने पर एक महीने की साधारण कैद की सजा होगी। अन्य मामलों में भी न्यायालय ने आरोपियों को अलग-अलग राशि का अर्थदंड देकर सिद्ध दोष ठहराया। वर्ष के दौरान 9 मामले जो विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित थे, जिनका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने भा मा ब्यूरो के पक्ष में दिया।

of misuse of Standard Mark are also taking place. BIS is committed to prevent the misuse of Standard Mark or its colourable imitation by any person/company who is not a BIS licensee. In order to protect the common consumer from being deceived by those misusing BIS Standard Mark, impetus to enforcement activity was provided during the year.

During the year, after carrying out preliminary discrete investigations, 41 cases were registered. These cases relate to LPG Gas Stoves, LPG Rubber Tubing, UPVC Pipes, Cement, Water Proofing Compounds, Welding Electrodes, Mineral Water, etc. In order to collect evidences regarding the misuse of Standard Mark, 23 search and seizures were also carried out. BIS also provided technical inputs, liaison and assistance to enforcement agencies of various states in conducting investigation, search and seizure operation, testing of samples taken during enforcement activities etc, relating to various Quality Control orders.

BIS carried out a nation vide market survey/campaign through its Regional/Branch offices in the country. BIS officers visited prominent market places in the country for ascertaining position about the products being sold with spurious ISI Mark. Items covered in the survey were Cement, Mild Steel Tubes, LPG Gas Stoves, Electrical Appliances, Fire Extinguishers, Latex Foam Products and Pressure Cookers. The dealers as well as customers/ consumers were educated about the advantages of purchasing BIS certified products and made aware of the common types of misuse of Standard Mark and violation of BIS Act, 1986 as well as the salient features of genuine ISI marked products. A few cases of suspected misuse of BIS Standard Mark also came to notice during the survey, which have been taken up for further investigation. Revision of BIS Act, 1986 has also been taken up with a view to make the misuse offence as cognizable and compoundable and the punishment to be more severe.

During the year, BIS launched prosecution proceedings under BIS Act, 1986 against 11 firms/parties for the violation of BIS Standard Mark on the products like HDPE Pipes, Non-sterilized Rolled Bandage, FTL Starters, Mono Block Pump, Plywood Sheet, Lock Stoppers (Brass), Rubberized Coir Sheets, Domestic Gas Stoves. During the year, 11 cases have been decided. The courts have convicted the accused in 7 cases with fine/imprisonment or both under BIS Act, 1986 and 4 cases were withdrawn by BIS since the whereabouts of the accused parties were not known. It is appropriate to mention here that in the case of M/s Eastern Fire Protection Engineers, Guwahati, the court have convicted the Proprietor/Partner with a fine of Rs 15 000/- failing which one month simple imprisonment. In other cases also, the courts have convicted the accused with the varying amount of fine. During the year, 9 cases pending with various High Courts have also been decided by the Hon'ble Courts in favour of



गुणता पद्धति प्रमाणन

भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) : अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) जिसने, ISO 9000 परिवार के मानकों का निर्धारण किया है, सहित मानकीकरण पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है। भा मा ब्यूरो भारत में प्रचालन कर रहा एकमात्र प्रमाणन निकाय है जो अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन (ISO) का सदस्य है।

मा मा ब्यूरो भारत में एकमात्र संगठन है जो एक संसद के अधिनियम के अधीन गुणता पद्धित प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है। लाभ कमाने वाला संगठन न होने के कारण इसकी गुणता पद्धित प्रमाणन सेवाएं न्यूनतम दरों पर दी जाती हैं। भा मा ब्यूरो, जिसके पास 5 क्षेत्रीय कार्यालयों और 18 शाखा कार्यालयों का देश भर में नेटवर्क है, में यह सामर्थ्य और क्षमता है कि वह समय पर दक्ष और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर सके। भा मा ब्यूरो की अपनी 200 से अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारियों की टीम हे, जो लीड असेसर पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं। ढांचागत सुविधाओं और व्यापक स्पेक्ट्रम के विशेषता सहित ISO 9000 प्रमाणन के माध्यम से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की गुणता के उन्नयन हेतु अति-दक्ष सेवाएँ प्रदान करने की अनन्य क्षमता रखता है।

वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरों ने अपनी गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के

अंतर्गत 175 लाइसेंस प्रदान किए। वर्ष 1991 अर्थात् योजना के आरंभ से लेकर अब तक भा मा ब्यूरो ने अपनी गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के अंतर्गत विभिन्न संगठनों को 810 लाइसेंस प्रदान किए हैं, जिसके अंतर्गत उद्योगों की व्यापक श्रेणी शामिल है, जिनमें इंजीनियरिंग, वस्त्रादि, वित्तीय, बैंकिंग सेवाएँ, निर्माण, अस्पताल और थोक व फुटकर व्यापार हैं और इनमें से 31 मार्च 2001 को 749 लागू लाइसेंस हैं (देखें आकृति 4)। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के अंतर्गत एयर इंडिया सुरक्षा विभाग पहली बार शामिल किये गये हैं। भा मा ब्यूरो

1997 1998 1999 2000 2001

आकृति 4 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च तक लागू) Fig. 4 Number of Quality System Certification Licences (Operative as on 31 March)

गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के अंतर्गत 170 लघु इकाइयाँ भी शामिल हैं।

QUALTY SYSTEMS CERTIFICATION

Bureau of Indian Standards (BIS), the National Standards Body of India represents our country on various international fora on Standardization including International Organization for standardization (ISO), which has formulated ISO 9000 family of Standards. BIS is the only certification body operating in India, which is a member of ISO.

BIS is the only organization in India which operates Quality Systems Certification Scheme under an Act of Parliament. Being a non-profit organization, its Quality Systems Certification services are offered at minimal rates. BIS with a network of 5 regional offices and 18 branch offices throughout the country has the capacity and capability to provide timely and efficient services. BIS, with own team of more than 200 technical and scientific officers, who have undergone lead assessor's course, infrastructure and wide spectrum of expertise, has a unique ability to provide the most efficient services through ISO 9000 certification, in upgrading the quality of Indian goods and services.

During the year, BIS has granted 175 licences under its

Quality Systems Certification Scheme. Since the launch of the scheme in 1991, BIS has granted 810 certificates under its Quality Systems Certification Scheme to various organizations, covering a wide range of industries, engineering, textiles. financial, banking services, construction, hospitals and wholesale & retail trade, of which 749 are operatives on 31 March 2001 (see Fig. 4). India Security departments have been covered for the first time under BIS Quality Systems Certification

Schemes during the year. There are 170 small scale units covered under BIS Quality Systems Certification Scheme.

भा मा ब्यूरो क्यूएससीएस का प्रत्यायन

भा मा ब्यूरों की गुणता पद्धित प्रमाणन योजना, हालैंड की राडवूर एक्रीडिटेटी (आरवीए) द्वारा 22 प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापों के लिए प्रत्यायित की गई है। भा मा ब्यूरों की प्रमाणन योजना का प्रचालन अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है जो ईएन 45012 'गुणता पद्धित प्रमाणन का प्रचालन करने वाले प्रमाणन निकायों के लिए सामान्य मानदंड' में उल्लिखित हैं। इसकी निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरवीए नियमित रूप से योजना का ऑडिट करती है। शिकायतकर्त्ता की संतुष्टि के लिए यह योजना शिकायतों के शीघ्र निपटान पर बल देती है।

Accreditation of BIS QSCS

BIS Quality Systems Certification Scheme has been accredited by Raad voor Accreditatie (RvA), Netherlands for 22 major economic activities. The operation of BIS certification scheme is based on international criteria as laid down in EN 45012 'General criteria for certification bodies operating quality system certification'. The scheme is regularly audited by RvA to confirm compliance to the laid down requirements. The scheme envisages speedy redressal of complaints to the satisfaction of complainant.



खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रान्तिक नियंत्रण बिन्दु

खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रान्तिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) एक ऐसी प्रक्रिया नियंत्रण पद्धित है जो खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों और अन्य खतरों की पहचान करने और इनके निवारण के लिए बनायी गई है। एचएसीसीपी आरंभिक उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक की पूरी खाद्य श्रृंखला पर लागू की जा सकती है व यह योजना IS 15000: 1998 - खाद्य स्वच्छता - एचएसीसीपी पद्धित एवं मार्गदर्शी सिद्धांत पर आधारित है जो तकनीकी रूप से कोडेक्स एलीमेन्टेरियस स्टैण्डर्ड एलीनॉर्म 97/13 ए के समकक्ष है। एचएसीसीपी एकीकृत गुणता पद्धित प्रमाणन योजना के अंतर्गत अब तक 23 कम्पनियों को प्रमाणित किया गया है। इन कम्पनियों में डेयरी, चावल, फल/सब्जियों, पेय और मसालों के क्षेत्र शामिल हैं। प्रमाणन के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वह गुणता पद्धित प्रमाणन योजना की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वह गुणता पद्धित प्रमाणन योजना की प्रक्रिया के ही सदृश है। यह योजना खाद्य और खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में विशेषकर अमरीका और यूरोप में माल-निर्यात में निर्यातकों के लिए सहायक होगी।

पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन

IS/ISO 14001: 1996 के अनुसार मा मा ब्यूरो द्वारा आरंभ की गई पर्यावरण प्रबंध पद्धित (ईएमएस) प्रमाणन योजना का निरंतर लोकप्रिय होना जारी रहा। वर्ष के दौरान 20 ईएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए, जिससे 31 मार्च 2001 तक कुल चालू लाइसेंसों की संख्या 40 हो गई है। इन लाइसेंसों के अंतर्गत विद्युत और दूरसंचार केबल, पैट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशी और औद्योगिक रसायन जैसे नए क्षेत्र। दूसरे नए क्षेत्र जैसे वैमानिकी, नाभिकीय और तापीय ऊर्जा, वस्त्रादि, सीमेंट इत्यादि के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त ईएमएस प्रमाणन के क्षेत्र में नवीनतम प्रवृतियों और विकास से स्वयं को अवगत रखने के लिए भा मा ब्यूरो ने 11-18 जून 2000 को स्वीडन में हुई अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) की ISO/TC 207 पर्यावरण प्रबंध पद्धित तकनीकी समिति की आठवीं बैठक में भाग लिया।

प्रयोगशाला सेवाएँ

भारतीय मानक ब्यूरो की आठ प्रयोगशालाओं का नेटवर्क देशभर में है । इन प्रयोगशालाओं ने संबद्ध भारतीय मानकों के अनुरूप भा मा ब्यूरो के प्रमाणित उत्पादों के प्रति अनुरूपता परीक्षण के लिए परीक्षण सेवाओं और परीक्षण संबंधी गतिविधियाँ जारी रखीं । वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं ने उत्पादों की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत 28 407 परीक्षण रिपोर्ट जारी की, जिनका परीक्षण मूल्य 315.10 लाख रूपये रहा। पिछले वर्ष की तुलना में परीक्षण मूल्य में लगभग 40 लाख रूपये की वृद्धि हुई ।

गुणता आश्वासन संबंधी गतिविधियाँ

गुणता पद्धति प्रलेखन (गुणता मैन्युअल, कार्यविधियाँ, कार्य निर्देश, फार्म एवं सूचियाँ)

Hazard Analysis and Critical Control Point


Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) is a process control system designed to identify and prevent microbial and other hazards in food production. HACCP can be applied throughout the food chain from primary producer to final consumer and the scheme is based on IS 15000:1998 'Food Hygiene - HACCP Systems and Guidelines' which is technically equivalent to the Codex Alimentarious Standard ALINORM-97/13A. Under the HACCP Integrated Quality Systems Certification Scheme, 23 companies have been certified so far covering dairy, rice, fruit/vegetable, drinks and spice sectors. The process followed for certification is akin to the process of Quality Systems Certification Scheme. This scheme will help the exporters in the field of food and food products specially export to the countries like USA and Europe.

Environmental Management Systems Certification

Environment Management System (EMS) Certification Scheme launched by BIS as per IS/ISO 14001:1996, continues to be popular. During the year, 20 EMS licences have been granted, making a total of operative licences to 40 as on 31 March 2001. These licences cover new technology areas like Electrical and Telecommunication Cables, Petroleum Refinery, Insecticides and Industrial Chemicals apart from other technology areas like Aeronautics, Nuclear and Thermal Power, Textile, Cement, etc.

Further, to keep abreast with latest trends and developments in the field of EMS Certification, BIS participated in 8th meeting of ISO/TC 207 Environmental Management Technical Committee of International Organization for Standardization (ISO) at Sweden during 11-18 June 2000.

LABORATORY SERVICES





Quality Assurance Activities

Quality Systems documentation (Quality Manual, Procedures,



में प्रबंध के सभी पक्ष और अच्छी प्रयोगशाला रीतियों का प्रचालन सहित ISO/IEC गाइड 25 पर आधारित है तथा परीक्षण एवं अंशशोधन मापन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) की कसौटियों का केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में कार्यान्वयन हो रहा है । कार्यान्वित गुणता पद्धति का ऑडिट नियमित अंतराल पर योग्य और प्रशिक्षण प्राप्त ऑडिटरों से कराया जाता है, जो प्रयोगशाला के अनुभव सहित या तो एनएबीएल प्रयोगशाला मूल्यांकनकर्त्ता पाठयक्रम अथवा ISO 9000/ ISO 14000 लीड असेसर पाठयक्रम पूरा कर चुके हैं ।

प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन पद्धति

भा मा ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एंव अंशशोधन प्रत्यायन परिषद् (एनएबीएल) से अपने जैविक, रासायनिक वैधृत और यांत्रिक परीक्षण अनुभागों तथा विधृत एंव अंशशोधन अनुभागों के लिए पहले ही प्रत्यायन प्राप्त हो चुका है ।

वर्ष के दौरान मोहाली में स्थित उत्तरी क्षेत्रीय प्रयोगशाला को एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त हुआ है । इसके साथ ही मुम्बई (पक्षेकाप्र), कोलकाता (पूक्षेकाप्र), चैन्नई (दक्षेकाप्र) और मोहाली (उक्षेकाप्र) स्थित सभी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को उनके यांत्रिक, रासायनिक और विद्युत अनुभागों के लिए एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त हुआ है ।

बंगलीर प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त होना प्रक्रमणाधीन 青1.

एनएबीएल प्रत्यायन पाने के अतिरिक्त भा मा ब्यूरो देश में एनएबीएल प्रत्यायन पद्धति के प्रचालन के लिए संसाधन उपलब्ध करवा रहा है, जिसके लिए आवश्यकता पड़ने पर मूल्यांकनकर्ता के रूप में एनएबीएल की सहायता के लिए जो एनएबीएल द्वारा संचालित प्रयोगशाला मूल्यांकक पाठयक्रम पूरा कर चुके है, जहाँ कहीं आवश्यक हो, उपलब्ध होंगे ।

परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं संवर्धन

भा मा ब्यूरो अपनी परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक एंव उन्नत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, ताकि उनका स्तर ऊँचा बना रहे । मिनरल वाटर के परीक्षण तथा पैकेजबंद पेयजल के लिए केन्द्रीय प्रयोगशाला में उर्ध्वाधर टाइप स्तारीय प्रवाह उपकरण और क्षैतिज ऑटोक्लेव के साथ बीओडी उष्मायित्र लिये गये हैं। खिचों, छत के पंखों के रेग्युलेटरों के लिए सह्यता परीक्षण उपकरण लगाया गया है । स्विचों के काल-प्रभावन परीक्षण के लिए डाटा लॉगर और आर्द्रता चैम्बर भी प्रयोगशाला में लगाए गए हैं । कर्मशाला में सेन्टर लेथ मशीन लगाई गई है।

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में एचटी लाइन लगाने का कार्य प्रगति पर है । पावर की समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय प्रयोगशाला हेतु 300 केवीए का डीजल जेनरेटर सेट लिया गया है । पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला के लिए 60 टी यूटीएम खरीदने की योजना है । उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न प्रयोगशालाओं में छत के पंखों सहित कई उत्पादों के लिए अतिरिक्त परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, ये हैं वायु डिलीवरी परीक्षण सहित स्लॉट युक्त काउंटरसंक शीर्ष पेंच, अतप्त गढ़े इस्पात के रिवेट, पोलीइथाइलीन पाइपों के युग्मक के वॉशर, गाल्वनीकृत Work Instructions, Form and Lists) covering all aspects of management and operation of good laboratory practices based on the ISO/IEC Guide 25 and National Accreditation Board for Testing and Calibration (NABL) Criteria are under implementation in the Central Laboratory as well as all the regional laboratories. The quality system as implemented is audited at regular intervals by qualified and trained auditors who have either undergone NABL laboratory assessors course or ISO 9000/ISO 14000 lead assessors course with laboratory experience.

National Accreditation System for Laboratories

BIS Central Laboratory, Sahibabad is already NABL accredited for its biological, chemical, electrical and mechanical testing sections as well as for electrical and mechanical calibration sections.

During the year, the Northern Regional Laboratory, situated at Mohali received accreditation from NABL. With this, all regional laboratories situated at Mumbai (WROL), Kolkata (EROL), Chennai (SROL) and Mohali (NROL) have been accredited by NABL for their mechanical, chemical and electrical sections.

The NABL accreditation of Bangalore lab is under process.

Besides obtaining NABL accreditation, BIS is providing resources for operation of the NABL accreditation system in the country with a number of officers having undergone the Laboratory Assessors Course conducted by NABL for assisting NABL as assessors, whenever required.

Modernization and Upgradation of Testing Facilities

BIS is constantly working to modernize and upgrade its testing laboratories to maintain its high standards. BOD incubator along with vertical type laminar flow apparatus and horizontal autoclave have been procured at Central Laboratory for testing of Mineral Water and Packaged Drinking Water. Endurance test apparatus for switches, regulators of ceiling fans has been added. The data loggers and humidity chamber for ageing test of switches have also been added in the laboratory. Center lathe machine has been added in the workshop.

Installation of HT line at SROL is in progress. Diesel generator set of 300 kVA for Central Laboratory is being procured to overcome the power problem. 60T UTM for EROL is planned to be purchased. Besides above, the test facilities at various laboratories were added for the products like ceiling fans including air delivery test, slotted countersunk head screws, cold forged steel rivets, washers for coupler of polyethylene pipes, galvanized mild steel fire bucket, hydraulic power



मृदु इस्पात की आग बुझाने की लिए बाल्टियाँ, वातिल पावर फुहारक, हस्त-चालित उर्वरक ब्राडकास्टर, स्क्रू टाइप जीएलएस लैम्प, सूक्ष्म जैविकीय परीक्षण सहित मलाई रहित दूध पाउडर, प्लाईवुड के लिए मापांक भंजक, एलपीजी के साथ प्रयुक्त होने वाले घरेलू ग्रिलर, सुरक्षा काँच, आटोमोबाइल के लिए सुरक्षा हेलमेट, एस्बेस्टॉस सीमेंट दाब पाइप के लिए सीआई स्पेशल, सेफ और वॉल्ट ।

दक्षता परीक्षण

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे, एपीएलएसी और राष्ट्रीय संगठनों जैसे एनसीसीबीएम, एनटीएच और आरटीसी द्वारा आयोजित विभिन्न वस्तुओं के दक्षता परीक्षण में भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं ने भाग लिया और सराहनीय परिणाम प्राप्त किए । जिन उत्पादों के लिए भा मा ब्यूरो ने उपयुक्त परीक्षणों में भाग लिया, वे उत्पाद हैं—जीएलएस लैम्प, सीमेंट, एलपीजी स्टोव, एलपीजी सिलिंडर, टक्करदार कब्जे, केबल व चालक, मलाई रहित दूध पाउडर, और बिजली की इस्तरी ।

अंशशोधन सुविधाएँ

ISO 9000 प्रमाणन की इच्छा रखने वाले अथवा इसे प्राप्त कर चुके उद्योगों द्वारा अंशशोधन सुविधाओं की भारी माँग को ध्यान में रखते हुए भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाएँ लम्बाई, द्रव्यमान, बल एवं दाब, करेंट और वोल्टता, प्रतिरोधिता इत्यादि के क्षेत्र में अंशशोधन सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

अन्य सरकारी निकायों के लिए परीक्षण

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत लिए गए अपने नमूनों के परीक्षण का ही भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं के पास बहुत काम रहता है । किंतु दिल्ली प्रशासन और रक्षा मंडार जैसे सरकारी निकायों के लिए भी उनके विशेष अनुरोध पर कई बार भारतीय मानकों के अनुरुप नमूनों का परीक्षण किया गया है।

भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता योजना

भा मा ब्यूरो द्वारा प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की संशोधित योजना (ISO/IEC गाइड 25 'अंशशोधन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं की सक्षमता की सामान्य अपेक्षाएँ में दर्शाई गई अंतर्राष्ट्रीय पद्धित के साथ समरूप की गई), के अंतर्गत भा मा ब्यूरो मुख्यतः भा मा ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए अपनी सेवाएँ देने की इच्छुक बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है । कुल 100 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई है । इन मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची भा मा ब्यूरो की वेबसाइट पर भी दी गई है ।

सतर्कता संबंधी गतिविधियाँ

सतर्कता संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए भा मा ब्यूरों में सतर्कता विभाग है जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। यह विभाग अन्य एजेंसियों जैसे, 'केन्द्रीय सतर्कता आयोग', 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण मंत्रालय' तथा 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग' के साथ घनिष्ठ समन्वय रख कर कार्य करता है। सतर्कता विभाग की गतिविधियों का संयोजन वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत किया जाता है। इस विभाग के प्रमुख कार्य सतर्कता के निरोधी, खोजी और दंडात्मक पक्षों के इर्द-गिर्द

sprayer, manually operated fertilizer broadcaster, screw type GLS lamp, skim milk powder with microbiological test, Modulus rupture for plywood, domestic grillers for use with LPG, safety glass, safety helmets for automobile, CI specials for asbestos cement pressure pipes, safes and vaults.

Proficiency Testing

BIS laboratories participated in proficiency testing of various items organized by international organizations like APLAC and national organizations like NCCBM, NTH and RTC and obtained commendable results. The products for which BIS labs participated are GLS lamps, cement, LPG stove, LPG cylinder, but hinges, cables & conductors, skim milk powder and electric iron.

Calibration Facilities

In view of great demand for calibration facilities from the industry, either seeking or having ISO 9000 certification, BIS laboratories are providing calibration services in the area of length, mass, force & pressure, current & voltage, resistance, etc.

Testing for Other Government Bodies

BIS laboratories are heavily engaged for their own testing of samples drawn under BIS Certification Marks Scheme. However, testing of samples as per Indian Standards at times has been done for other Government bodies like Delhi Administration and Defence Stores on their special request.

BIS Laboratory Recognition Scheme

Under the revised BIS Laboratory Recognition Scheme (aligned with international system outlined in ISO/IEC Guide 25, 'General Requirements for Competence of Calibration and Testing Laboratories'), BIS recognized outside laboratories for utilization of their services mainly to test samples generated from BIS Certification Marks Scheme. A total number of 100 outside laboratories have been recognized. A list of such recognized laboratories has also been put up on the BIS web site.

VIGILANCE ACTIVITIES

Bureau of Indian Standards has a Vigilance Department for carrying out vigilance activities, which is headed by a Chief Vigilance Officer. This department operates in close coordination with other agencies such as the 'Central Vigilance Commission', 'Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution', and the 'Department of Personnel & Training'. The activities of Vigilance Department are organized in accordance with an Annual Action Plan. The key functions of this Department revolve around the preventive, the



रहते हैं। सतर्कता विभाग ने भा मा ब्यूरो के समूह 'क' और 'ख' के कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई चल एवं अचल सम्पत्ति की वार्षिक सम्पत्ति विवरणों और अंतिम अंतरण की समीक्षा की। चल और अचल सम्पत्ति संबंधी 591 सूचनाओं को वर्ष 2000-2001 में दर्ज किया गया और चल एवं अचल सम्पत्ति अधिग्रहण के 424 मामलों में अनुमति प्रदान की गई। भा मा ब्यूरों के कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार करने और/अथवा संबंधित प्रशासनिक विभाग के निवेदन पर बाहरी पदों के लिए भा मा ब्यरों के कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने के 600 मामलों में भी सतर्कता संबंधी अनुमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान गहन और विस्तृत जांच के बाद सतर्कता विभाग में प्राप्त शिकायतों में से 65 प्रतिशत शिकायतों का निवटान किया।

भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों को आचरण नियम, सीसीएस (सीसीए) नियमों में निर्धारित और विभिन्न प्रावधानों तथा संबद्ध अन्य लागू विभिन्न संबंधित नियमों/विनियमों एवं मैन्युअलों से अवगत कराने के लिए सतर्कता विभाग ने वर्ष 1997 में 'निरोधक सतर्कता मैन्युअल' प्रकाशित किया था। इस मैन्युअल को पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों में सतर्कता संबंधी गतिविधियों के महत्त्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता विभाग ने 2000-2001 में संबंधित विषयों पर विभिन्न सतर्कता कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया।

मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देशानुसार भा मा ब्यूरो के मुख्यालय के साथ-

साथ इसके क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयी में भी 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर 2000 तक 'सतर्कता जागरूकता' सप्ताह मनाया गया। इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में पोस्टर एवं बैनर लगाए गए और नारे प्रदर्शित किए गए तथा भ्रष्टाचार निरोध पर कई संगोष्ठियाँ/वाद-विवाद/निबंध लेखन, प्रतियोगिताएँ/नाटक और प्रतियोगिता स्थल पर नारे (स्लोगन) लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी सप्ताह के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता पर व्याख्यान देने के लिए ब्यूरों के मुख्यालय के सतर्कता अधिकारियों को भी भेजा गया।

सतर्कता विभाग ने पहली बार अक्तूबर 2000 में 'विजिलेस—दी बीआईएस विजन' शीर्षक से एक वार्षिक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका का विमोचन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान उपभोक्ता


मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार के सचिव ने किया। इसका अगला अंक अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों में निकाला जाना प्रस्तावित है। भा मा ब्यूरो की कार्यप्रणाली में व्यवस्थित सुधार लाने के लिए सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से भा मा ब्यूरो के मुख्यालय की दोनों इमारतों में सुझाव पेटी लगाई गई है, तािक भा मा ब्यूरो की

detective and the punitive aspects of vigilance. The Annual Property Returns as well as final transactions in movable and immovable properties filed by the Group 'A' and 'B' employees of BIS, were scrutinized/examined by Vigilance Department. Out of 591 intimations regarding immovable and movable properties taken on records, permissions were granted in 424 cases for acquisition of immovable and movable property in 2000-01. In 600 cases, vigilance clearances were also granted for considering promotions and/or forwarding the applications of BIS employees for outside posts as requisitioned by the concerned Administration Department. Moreover, during the year, around 65 percent of the complaints received were finalized by the Vigilance Department after thorough and detailed investigations.

In order to apprise BIS employees about various provisions laid down in Conduct Rules, CCS (CCA) Rules and various other related Rules/Regulations & Manuals in operation, a Preventive Vigilance Manual was brought out by Vigilance Department in the year 1997. The process of revision of this Manual has already been started. Further, in order to create greater awareness about the importance of vigilance activity among the BIS employees, several vigilance workshops and programmes on related subjects were organized by the Vigilance Department in 2000-01, which were also attended by the Heads of Regional Offices (ROs) and Branch Offices (BOs).

As per the directives of CVC, 'Vigilance Awareness Week'

was observed from 31 October to 4 November 2000 not only at BIS Headquarters but also at all the Regional and Branch Offices of BIS. During this period posters, banners and slogans were displayed and several seminars/debates/essay writing, competitions/plays on anticorruption including on-the-spot slogan writing competitions were organized at ROs and BOs. Vigilance Officers from BIS Headquarters were also deputed to deliver lectures on vigilance awareness at various ROs and BOs during this week.



For the first time, an annual magazine titled 'Vigilance — The BIS Vision' was launched in October 2000 by Vigilance Department. This magazine was released by the Secretary, Department of Consumer Affairs,

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India during the 'Vigilance Awareness Week'. The next issue is proposed to be bilingual both in English and Hindi. For receiving inputs which could lead to systemic improvements in the working of BIS, Suggestion Boxes have been placed in both the buildings of BIS Headquarters to



कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों को अपने सुझाव देने में आसानी हो।

भा मा ब्यूरो के सतर्कता कर्मचारियों को सतर्कता तकनीकों के नवीनतम विकासों की जानकारी देने के उद्देश्य से उन्हें सतर्कता संबंधी विषयों पर बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।

सूचना सेवाएँ

तकनीकी सूचना सेवाएँ

उद्योगों, निर्यातकों, व्यक्तियों और सरकारी एजेंसियों को उनकी पूछताछों के बारे में जानकारी देने के लिए तकनीकी सूचना सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू मानकों, तकनीकी विनियमों और प्रमाणन पद्धति के बारे में इन्हें नवीनतम जानकारी देने के लिए बुलेटिन भी प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रयास में वर्ष 2000-2001 के दौरान 2 000 से अधिक जानकारियों का जवाब दिया गया।

डब्लयूटीओ/टीबीटी पूछताछ बिन्द्

भा मा ब्यूरो भारत में डब्ल्युटीओ/टीबीटी का पदमानित राष्ट्रीय पूछताछ केन्द्र है जो मानकों पर जानकारी के आदान-प्रदान तकनीकी विनियमों और अनुरूपता आकलन पर डब्ल्यूटीओ सचिवालय और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करता है। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो को अन्य सदस्य देशों से 600 टीबीटी अधिसूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो सभी संबद्ध लोगों की जानकारी के लिए 'स्टैण्डर्ड : मंथली एडीशन्स बुलेटिन' और 'ईसी नार्म स्कैन' में प्रकाशित की गईं।

विश्व निर्माता आइडेंटीफायर (डब्ल्यूएमआई-ISO 3780) जारी करना आटोमोटिव इंजीनियर्स संस्थान (एसएई) अमरीका के साथ सहयोग से भा मा ब्यूरो ने भारत में आटोमोबाइल निर्माताओं के लिए ISO 3780 के अनुसार डब्ल्युएमआई कोड जारी करके अपना उत्तरदायित्व पूरा किया। वर्ष के दौरान तीन कोड आबंटित किए गए।

वित्तीय संस्थानों/बैंकों को आइडेंटीफिकेशन संख्या का प्रायोजन

i) इश्युअर आइडेंटीफिकेशन संख्या (आईआईएन—ISO/IEC 7812 1) अंतर्राष्ट्रीय विनियम में प्रयुक्त पहचानपत्रों के जारीकर्त्ता की पहचान के लिए ISO/IEC : 7812 के इस भाग में संख्या पद्धति निर्दिष्ट है। यही नम्बर प्रमुख उद्योग और कार्ड जारीकर्त्ता की पहचान करता है तथा आइडेंटीफिकेशन संख्या का पहला भाग बनाता है। अमेरिकन बैंक एसोसिएशन (एबीए) के लिए बैंकों/वित्तीय संगठनों के आवेदनों को प्रायोजित करके भा मा ब्यूरो ने ISO 7812-1 : 1993 (ई) के अनुसार आईआईएन निर्गम को सरल बनाया। एबीए को सोलह आवेदन प्रायोजित किए गए, जिनमें से इस अवधि के दौरान तेरह को आईआईएन जारी किए गए।

ii) इंस्टीटचूशन आइडेंटीफिकेशन कोड आईआईसी-ISO 8583 : 1993 (ई) 1

अमेरिकन बैंक एसोसिएशन (एबीए) द्वारा ISO 8583 : 1993 (ई) के अनुसार आईएसओ प्राधिकार के अंतर्गत दी गई आईआईसी एक अनन्य facilitate BIS employees to give their suggestions for improvements in the functioning of BIS.

In order to enable vigilance personnel of BIS to acquire knowledge on the latest developments in vigilance techniques, they were deputed to attend several intensive training programmes in vigilance matters organized by outside agencies.

INFORMATION SERVICES

Technical Information Services

Technical Information Services are provided to industry, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. Bulletins are also published to keep them updated about the latest information on standards, technical regulations and certification systems applicable in international trade. In this endeavor, more than 2 000 enquiries were responded during the year 2000-01.

WTO/TBT Enquiry Point

BIS being the designated WTO/TBT National Enquiry Point in India, information exchange on standards, technical regulations and conformity assessment procedures with WTO Secretariat and other WTO members is coordinated. BIS received 600 TBT notifications of other member countries during the year, which were printed in the bulletins 'Standards: Monthly Additions' and 'EC Norm Scan' for information of all concerned.

Issue of World Manufacturer Identifier (WMI-ISO 3780)

In coordination with Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS fulfils the responsibility of issuing the WMI Codes as per ISO 3780 to the automobile manufacturers in India. Three WMI Codes were allotted during the year.

Sponsorship of Identification Numbers to Financial Institutions/ Banks

i) Issuer Identification Number (IIN - ISO/IEC : 7812-1)

This part of ISO/IEC 7812 specifies a numbering system for the identification of issuers of identification cards used in international exchange. This is a number that identifies the major industry and the card issuer and forms the first part of the identification number. BIS facilitates the issue of IIN as per ISO 7812-1:1993 (E) by sponsoring applications of Banks/Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). Sixteen applications were sponsored to ABA and out of which, thirteen have been issued the IIN during this period.

ii) Institution Identification Codes [IIC-ISO 8583:1993(E)]

IIC is a unique number assigned by American Bankers Association (ABA) under the authorization of ISO in



संख्या है। यह उन वित्तीय संस्थानों को दी गई है जो वित्तीय लेन-देन कार्ड से उदभुत संदेशों में भाग लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक में सामान्य इंटरफेस निर्दिष्ट करता है जिसके माध्यम से वित्तीय लेन-देन कार्ड से उदभूत संदेश प्राप्तकर्त्ता और कार्ड जारीकर्ता के मध्य अंतःपरिवर्तित किये जा सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक बिट मैप नामक अवधारणा का प्रयोग करता है जिसके द्वारा प्रत्येक आँकड़ा घटक को किसी नियंत्रण क्षेत्र में पोजीशन इंडिकेटर दिया जाता है। इस वर्ष में एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने आईआईसी जारी करने के लिए आवेदन किया।

iii) रजिस्टर्ड एप्लिकेशन प्रोवाइंडर आइर्डेटीफायर (RID-ISO/IEC 7816-5)

आरआईडी आइडेंटीफिकेशन कार्ड संपर्क सहित एकीकृत परिपथ कार्ड में प्रयुक्त होने वाला हार्डवेयर इंडेक्स कोड है। इसमें आवेदन, फाइल का मार्ग और अन्य संबंधित ऑकड़े होते हैं, ताकि विसंगत ऑकड़ों और आवेदन टेम्पलेट की तुलना की जा सके तथा आईएसओ/आईईसी 7816-5 : यह 1994 के अनुसार आईएसओ प्राधिकार के अंतर्गत कोपनहेगेन, डेनमार्क की रजिस्ट्रेशन अथोरिटी द्वारा आबंटित किया जाता है। वर्ष के दौरान एक सुचना प्रौद्योगिकी कम्पनी को आरआईडी आबंटित किया गया।

सूचना बुलेटिन

मानकीकरण और गुणता पद्धति पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी से उपयोगकर्ताओं को अवगत कराने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित बुलेटिन निकाले गए:

- i) स्टैर्ण्ड्स वर्ल्डओवर मंथली एडीशन (मासिक)
- ii) करंट पब्लिश्ड इंफोर्मेशन ऑन स्टैण्ड्रडाइजेशन (मासिक)
- iii) ईसी नॉर्म स्कैन (ईसी के मानकीकरण संबंधी समाचार) (त्रैमासिक)

डाटाबेस सेवाएँ

भा मा ब्यूरो ने उद्योगों, निर्यातकों और मानक निर्धारण के कार्य में लगे व्यक्तियों को बायर्स गाइड पर डाटाबेस मानकों की संदर्भ सूची सेवाएँ देना जारी रखा।

i) बायर्स गाइड-यह भा मा ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना में शामिल उत्पादों का डाटाबेस है जिसमें लाइसेंसधारी का नाम, पता, आईएस

संख्या, कम्पनी का स्टेटस इत्यादि शामिल हैं। यह जानकारी मांगे जाने पर उपभोक्ता संगठनों, संबंधित उद्योगों और व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई।

ii) संदर्भ सूची डाटाबेस— भा मा ब्यूरो अपने 209 600 से अधिक रिकार्ड वाले डाटाबेस के माध्यम से मांगने पर चुनिंदा विषयों पर विश्वभर के मानकों की संदर्भ सुची उपलब्ध करवाता है।

accordance with ISO 8583:1993(E). It is assigned to a financial institution participating in financial transaction card originated messages. This International Standard specifies a common interface by which financial transaction card originated messages may be interchanged between acquirers and card issuers. This International Standard uses a concept called bit map, whereby each data element is assigned a position indicator in a control field. One application of a Nationalized Bank was processed for the issuance of IIC during the year.

iii) Registered application provider identifier (RID-ISO/IEC 7816-5)

RID is a hardware index code used in identification cards - integrated circuit(s) cards with contacts. It consists of the application, the path to a file and other related data compared to perform discretionary data and the application template and it is allotted in accordance with ISO/IEC 7816-5:1994 by the Registration Authority, Copenhagen, Denmark under the authorization of ISO. During the year one RID was allotted to an IT company.

Information Bulletins

To keep the users abreast of the latest information available on standardization and quality systems, following bulletins were brought out during the year:

- Standards Worldover: Monthly Additions (Monthly)
- Current Published Information on Standardization (Monthly)
- EC Norm Scan (Standardization news of EC) (Quarterly)

Database Services

BIS continued to provide database on Buyers' Guide, Bibliography of standards to the industry, exporters and to those engaged in standards formulation.

i) Buyer's Guide — It is a database of products covered under BIS Certification Marks Scheme which includes name, address of the

licensee, IS number, licence number with its validity, status of the firm etc. The information was provided to the consumer organizations, concerned industry and individuals on demand.

CURRENT PUBLISHED INFORMATION STANDARDIZATION VOL.36 NO.10 OCTOBER 2001 BIS TECHNICAL INFORMATION
SERVICES CENTRE
Indian Standards, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002

> ii) Bibliographic Database — BIS has been providing on demand bibliographies of standards worldover on specific subjects through its database containing more than 209 600 records.



पुस्तकालय सेवाएँ

वर्ष के दौरान, ब्यूरो के मुख्यालय के पुस्तकालय सेवा केन्द्र और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों, जो मुम्बई, कोलकाता, चंडीगढ़ और चेन्नई में हैं, के पुस्तकालयों के संकलन में 9 000 पुस्तकें, विदेशी मानक निकायों और प्रकाशनों द्वारा जारी मानक जैसे प्रलेख और ऐसे मानक और शामिल किए गए जो मानकीकरण के कार्य में लगी विभिन्न विद्वत समितियों और विदेशी संगठनों द्वारा जारी किए गए थे।



Library Services

During the year, Library Services Centre (LSC) of the Bureau, at its Headquarters and also at its four Regional Offices at Mumbai, Kolkata, Chandigarh and Chennai added to its collection 9 000 books, standards type documents issued overseas standard bodies as well as publications and standards issued by various learned societies and foreign associations engaged in the work of standardization.

भारतीय मानक ब्यूरों के पुस्तकालय ने कंप्यूटर केन्द्र द्वारा रखे जा रहें 'मानक संदर्भिका नामक विश्व मानकों के यांत्रिकीकृत डाटाबेस को अद्यतन करने के लिए मूलभूत जानकारी देना जारी रखा। यहाँ प्राप्त सभी मानकों को डाटाबेस में डालने के लिए कूटबद्ध किया गया, जिसमें अब 30 900 से ऊपर रिकार्ड हो गए हैं।

अपनी वर्तमान जागरूकता सेवाओं के एक भाग के रूप में एलएससी पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों की सूची मासिक रूप से 'एडीशंस टू लाइब्रेरी—बुक्स एंड पेमफ्लैट्स' शीर्षक से प्रकाशित करती है। यह बुलेटिन कार्यालय के प्रयोक्ताओं और पुस्तकालय के सदस्यों को परिचालित करने के लिए है तथा इसमें 120 विस्तृत समूहों, जिनका चयन यूनीवर्सल डेसीमल क्लासीफिकेशन (यूडीसी) से होता है, के अंतर्गत वर्गीकृत जानकारी प्रस्तुत की जाती है।

पुस्तकालय के वर्तमान सदस्यों में विभिन्न वर्गों के 1400 व्यक्ति एवं संगठन सदस्य हैं। इनमें से 160 इस वर्ष सदस्य बने हैं। व्यापार और उद्योगों के प्रतिनिधियों तथा ब्यूरो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगभग 36 693 प्रकाशन/मानक परामर्श हेतु जारी किए गए।

6 774 आगंतुकों को उनकी पसंद की संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवा कर संदर्भ सेवाएँ दी गईं। 14 व्यापक विषयों पर संदर्भ सूचियाँ उपलब्ध कराने के माध्यम से संदर्भ इकाई ने मानक निर्धारण करने वाले विभागों को पूरी तरह से सहायता दी। भारतीय व्यापार और उद्योगों द्वारा पूछे गए 6160 बड़े और छोटे प्रश्नों के उत्तर देकर इनकी सहायता की गई। एलएससी ने भारतीय मानक मसौदों को कूटबद्ध करने में भी अपनी सेवाएँ दीं, यह सेवा आईएसओ द्वारा प्रस्तुत मानकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीएस) के अनुसार दी गई। वर्ष के दौरान 543 मसौदों को कूटबद्ध किया गया।

इस समय पुस्तकालय में 430 पत्रिकाएँ आ रही हैं जिनके वर्तमान संस्करण नियमित रूप से संबंधित विभागों को परिचालित किए जाते हैं, तािक अधिकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकासों से अवगत होते रहें। एलएससी ने तकनीकी विभागों के अनुरोध पर अनुवादकों के पैनल की सेवाओं का उपयोग करके विदेशी मानकों के अनुवाद की व्यवस्था भी की।

The BIS Library continued to supply basic information for the updation of mechanized database of World Standards called 'Manak Sandarbhika' maintained by Computer Centre. All the standards received here were codified for inputting in the database which now comprises above 30 900 records.

As part of its current awareness services, LSC publishes on monthly basis list of all the books received in the library, under the title 'Addition to the Library — Books and Pamphlets'. This bulletin is for circulation to in-house users and library members and presents information in classified form under 120 broad subjects groups selected from Universal Decimal Classification (UDC).

The library has 1 400 individuals and organizations as current members of the library in various categories. Out of this 160 members have joined during this year. About 36 693 publications/standards were consulted or issued to the representatives of trade and industry as well as officers and staff of the Bureau.

Reference services were provided to 6 774 visitors by way of making available the reference materials of their choice. The reference unit fully supported the standard formulation departments by providing 14 exhaustive subject-bibliographies. It assisted the Indian trade and industry by answering 6 160 long and short range queries received from them. LSC also provided its service for codifying draft Indian Standards as per International Classification for Standards (ICS) propounded by ISO. During the year, 543 drafts were codified.

The library had received 430 periodicals, current issues of which are regularly circulated to the concerned departments to keep the officers abreast of the latest developments in science and technology. LSC also arranged translation of foreign standards on the request of technical departments by utilizing services of a panel of translators.



भा मा ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा भी उपभोक्ता दिवस मनाया गया।

साहित्य

भा मा ब्यूरो द्वारा उपभोक्ता हित में प्रकाशित तेरह विवरणिकाओं में से दस विवरणिकाओं का असिया भाषा में अनुवाद हुआ और इन्हें प्रकाशित किया गया। इन विवरणिकाओं का गुजराती, मराठी, पंजाबी और तेलगु जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में पहले ही अनुवाद किया जा चुका है और इन्हें प्रकाशन के लिए भेजा जा चुका है।

सार्वजनिक शिकायतें


भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के बारे में प्राप्त शिकायतकर्त्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए शिकायतों की प्रत्येक माह समीक्षा एवं मॉनीटरी की जाती है। निरंतर मॉनीटरी से 31 मार्च 2001 तक लंबित शिकायतों की संख्या 25 रही। इस अवधि के दौरान 45 शिकायतें पंजीकृत की गईं और इतनी ही शिकायतों पर कार्यवाही बंद की गई। भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों से संबंधित शिकायतों के अलावा कुछ मामले अन्य सार्वजनिक शिकायतों के थे जिनमें से अधिकांश मौखिक शिकायतें ही थीं और जिनके निपटान के लिए तत्काल कार्रवाई की गई। आकृति 5 से सुचित होता है कि

was attended by over 100 participants. The Consumer Day was also celebrated by all the Regional and Branch Offices of BIS.

Literature

Out of thirteen brochures brought out by BIS on the subjects of consumer interest, ten have been translated and printed in Assamese. Translation of brochures in regional languages like Gujarati, Marathi, Punjabi and Telugu have already been got done and have been sent for printing.

Public Grievances



आकृति 5 लम्बित शिकायतों की संख्या (31 मार्च को)

Fig. 5 Number of Complaints Pending (as on 31 March)

शीघ्र निपटान के कारण शिकायतों के लंबित मामले न्यूनतम रहे।

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month to provide speedy redressal to the complainants. With constant monitoring, the number of pending complaints as on 31 March 2001 has been 25. During the period, 45 complaints were registered and equal number were closed. Regarding public grievances other than those related to BIS certified products, there were only stray cases, mostly in verbal and immediate actions were taken for redressal of the same. Figure 5 indicate that the pending case of complaints continue to be

kept minimum due to speedy redressal.

आन्तरिक शिकायतें

मा मा ब्यूरो के विभिन्न कर्मचारियों से मिली शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए उनकी प्रत्येक माह समीक्षा की जाती है। 31 मार्च 2001 तक लम्बित शिकायतों की संख्या 10 तक सीमित रह गई है। ज्यादातर मामलों में कर्मचारियों/अधिकारियों की शिकायतों का निपटान उनकी संतुष्टि के अनुरूप किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

ब्यूरों ने अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओं) एवं अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी) की प्रशासनिक एवं चयनित तकनीकी समितियों में भाग लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संबंधी गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। भा मा ब्यूरों सार्क की गतिविधियों में भी अग्रणी रूप से भाग ले रहा है।

कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी (कोपाल्को)

कोपाल्को की बाइसवीं बैठक दिनाँक 23 एवं 24 मई 2000 को क्योटो, जापान में आयोजित की गई। पूर्ण बैठक से पूर्व दिनाँक 21 मई 2000 को ''अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में उपभोक्ता सहभागिता''

Internal Grievances

Grievances received from different BIS employees are being reviewed every month to provide speedy redressal. As on 31 March 2001, the pending complaints have been restricted to 10. In most of the cases, the grievances of the staff/officers were redressed to their satisfaction.

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau contributed by participating in the international standardization activities by attending some of the administrative and selected technical committees of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC). BIS continued to take a leading part in the SAARC activities also.

Consumer Policy Committee (COPOLCO)

Twenty-second meeting of COPOLCO was held in Kyoto, Japan on 23 & 24 May 2000. Prior to the plenary meeting, a Consumer Symposium on "Consumer participation in



विषय पर संगोष्ठी एवं दिनाँक 22 मई 2000 को "भूमंडलीय बाजार में उपभोक्ता संरक्षण" विषय पर उपभोक्ता कार्यशाला आयोजित की गई। भा मा ब्यूरों के महानिदेशक श्री पी.सी. दास के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठकों में भाग लिया।

"अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में उपभोक्ता संरक्षण" पर उपभोक्ता संगोष्ठी जापान की सरकार की आर्थिक योजना एजेन्सी के सहयोग से जापानी उपभोक्ता संगठन द्वारा आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का मूल उद्देश्य मानकीकरण के काम में उपभोक्ता सहभागिता को बढ़ावा देना था। संगोष्ठी में मुख्य रूप से चर्चा एशिया, विशेष रूप से भारत, थाईलैंड, फिलिपींस, मलेशिया, इण्डोनेशिया एवं जापान में इको-लेबलिंग योजना पर केन्द्रित रही।

भारत में इको-लेबल संबंधी अवरोधों पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रकाश डाला गया, जो निम्नानुसार है :

- पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया के लिए तकनीकी लागत
- निर्माताओं का आकार और स्तर
- कम्पनियों को तकनीकी सहायता की कमी
- पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की उत्पादन लागत
- क्या उपभोक्ता ज्यादा भुगतान करने के इच्छ्क हैं?

''भूमंडलीय बाजार में उपभोक्ता संरक्षण'' पर कार्यशाला का उद्देश्य उपभोक्ता के साथ-साथ उद्योग/व्यापार के दृष्टिकोण से भूमंडलीय बाजार में उपभोक्ता संरक्षण के लिए अपनाई जा रही रीतियों का विश्लेषण करना था। कार्यशाला में मूल मुद्दे उपभोक्ता की निजता, सुरक्षा एवं अधिकारों से संबद्ध थे। कार्यशाला में भारतीय शिष्टमंडल ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

'इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य, जो एक उभरता हुआ क्षेत्र है और भारत में सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा जिसे उचित महत्त्व दिया जा रहा है, पर अतंर्राष्ट्रीय मानक विकसित करते समय इसमें उपभोक्ता की सहभागिता बढ़ाने पर बल दिए जाने को रेखांकित किया गया। ई-कामर्स से संबद्ध चर्चाओं के माध्यम से जो समस्याएँ पहचानी गई वे हैं :

- उपभोक्ता, ई-कामर्स के बारे में भ्रम की स्थिति में हैं एवं इसमें विश्वास कम रखते हैं।
- नियमों को विकसित एवं कार्यान्वित करने पर माँग पक्ष (उपभोक्ता) का अपर्याप्त जुड़ाव
- समयबद्ध एवं संबद्ध उपभोक्ता सूचना का अपर्याप्त प्रावधान
- ई-कामर्स में भुगतान की विधि संबंधी समस्याएँ
- इंटरनेट पर सुचना में निजता

चर्चाओं के आधार पर इन समस्याओं को हल करने के लिए जो संभावित सुझाव मिले, वे निम्नलिखित हैं :

सूचना/निदान इत्यादि के मामलों में सक्रिय (प्रो-एक्टिव) नीतियों पर ध्यान

international standardization" was held on 21 May 2000 and a Consumer Workshop on 'Consumer protection in the global market' was held on 22 May 2000. An Indian delegation led by Shri P.S. Das, DG, BIS, attended the meetings.

The Consumer Symposium on 'Consumer participation in international standardization' was organized by the Japanese Consumer Organization with support from the Economic Planning Agency of the Japanese Government. This symposium aimed at promoting consumer participation in the standardization work. The discussion at the Symposium mainly focussed on Eco-labelling schemes in Asia specially India, Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia and Japan.

Barriers to Eco-labels in India were highlighted by the Indian delegation, which are given below:

- Cost of technology for eco-friendly process
- Size and scale of manufacturers
- Lack of technical assistance to companies
- Cost of producing eco-friendly products
- Are consumers willing to pay more?

Workshop on 'Consumer Protection in the global market' aimed at analyzing practices being followed in the consumer protection in the global market place from the consumer perspective as well as from the industry/trade perspective. The key issues in the workshop were based on the privacy, safety and rights of the consumer. The Indian delegation took an active part in the workshop.

There was an underlying emphasis to encourage consumer participation in the development of international standards on electronic commerce which is an emerging area and getting due consideration by all concerned in India. The problems identified through deliberating concerning e-commerce were:

- Consumers are confused and lack confidence in e-commerce
- Inadequate demand-side (consumer) involvement in development and implementation of rules
- Inadequate provision of timely and relevant consumer information
- Payment system problems in e-commerce
- Privacy of information on Internet

Based on discussions, the probable solutions which emerged for tackling these problems emerged as follows:

Focus on pro-active strategies in the matter of information/remedies, etc



- विश्वास की मुहर/लोगो, जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती हो, का उपयोग
- संहिताओं, सील एवं मानकों का तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन ।

आईएसओ/आईईसी की तकनीकी समितियाँ एवं उपसमितियों के लिए भा मा ब्यूरो के शिष्टमंडल

भा मा ब्यूरों का विभिन्न आईएसओ/आईईसी तकनीकी समितियों एवं उपसमितियों में प्रतिनिधित्व जारी रहा। वर्ष के दौरान, भा मा ब्यूरों के अधिकारियों ने आईईसी/टीसी 61, आईएसओ/टीसी 69, आईएसओ/टीसी 207, आईएसओ/टीसी 176, आईएसओ/टीसी 113/एससी 1 एवं एनसीएसएल कार्यशाला एवं संगोष्ठी में सहभागिता की।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

ब्यूरों का जिन देशों के साथ सहयोग कार्यक्रम हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को सुदृढ़ करना जारी रखा । ब्यूरो द्वारा अन्य देशों के साथ सहयोग के नये क्षेत्रों पर भी विचार किया जा रहा है। इनमें से विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण अर्मेनिया जैसे देशों के साथ काम करने को तरजीह दी जा रही है। रिशयन फेडरेशन एवं म्यांमार के शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरों की यात्रा की।

अमेनिया के साथ समझौता जापन

अर्मेनिया विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों एवं कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है। वे राष्ट्रीय आपदाओं में भी हमारी मदद करते हैं। अर्मेनिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए पूरा समर्थन दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंण्डर्डाइजेशन, मैट्रोलोजी एंड सर्टिफिकेशन, अर्मेनिया की पहचान सहयोग कार्यक्रम पर करारनामें के लिए की गई है। करारनामें को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर हस्ताक्षर परस्पर सुविधा के अनुसार तय तिथि पर किए जाने हैं।

रशियन फेडरेशन से शिष्टमंडल

रशियन फेडरेशन एवं भारत के मानक निकायों ने घनिष्ठ संबंध बनाये रखना जारी रखा है और इनमें पारस्परिक संपर्क रखा जाता है । इन दोनों मानक निकायों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, रशियन सेन्टर फॉर टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन (आरओएसटीईसटी) श्री वेलेण्टाइन एन जग्नेबेलनी सिहत उपमहानिदेशक डॉ. एल. ए. ज्लात्कोविच ने दिनाँक 5 अप्रैल 2000 को भा मा ब्यूरों के महानिदेशक से मुलाकात की। दौरे के दौरान मानकीकरण माप-मिति एवं प्रमाणन पर भारत-रूस उप-कार्यकारी रामूह के अंतर्गत रुस के साथ आगे सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ।

म्यांमार से शिष्टमंडल

म्यांमार एवं भारत बंगलादेश, भारत, म्यामांर, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग (बीआईएमएसटीईसी) में सक्रिय भागीदार है। ये देश आपसी लाभों के लिए आगे सहयोग कायम रखने के उपायों की संभावना तलाश रहे हैं। दिनाँक 23 फरवरी 2001को मापमिति, मानकों एवं गुणता प्रमाणन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में म्यामांर के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के 3 विरुट अधिकारियों के शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया। चूँकि वर्तमान में, म्यांमार में राष्ट्रीय मानक निकाय नहीं है, अतः उन्हें राष्ट्रीय

- Use of Trust Marks/Logos which meet international standards
- Third party verification of codes, seals and standards

BIS Delegations to ISO/IEC Technical Committees & Sub-committees

BIS continued to represent in various ISO/IEC Technical Committees & Sub-committees. During the year, meetings of IEC/TC 61, ISO/TC 69, ISO/TC 207, ISO/TC 176, ISO/TC 113/SC 1 and NCSL workshop and symposium were attended by BIS officers.

Bilateral Cooperation Programmes

The Bureau continued to strengthen its relations with the countries with which it is having cooperation programmes. It is also considering new areas of cooperation with other countries. Significant among these were with countries like Armenia. Delegations from Russian Federation and Myanmar paid visit to BIS.

MoU with Armenia

Armenia supports India on various international fora and Kashmir issue. They have helped us during our national calamity. Armenia has expressed full support for India's permanent membership of the UN Security Council. In view of all this, cooperation programme between BIS and the Department of Standardization, Metrology and Certification of Armenia has been identified for agreement between the two countries. The agreement has been finalized and it is to be signed on a mutually convenient date.

Delegation from Russian Federation

The standards bodies of Russian Federation and India continued to have very close relationship and have been interacting with each other. To further strengthen the cooperation between the two standards bodies, Dr L A Zlatkovich, Deputy Director General, Russian Centre for Tests and Certification (ROSTEST), Moscow, alongwith Mr Valentine N Zagrebelniy, also from ROSTEST called on DG, BIS on 5 April 2000. During the visit, various points for future cooperation with Russia under Indo-Russian Sub-Working Group on Standardization, Metrology and Certification were discussed.

Delegation from Myanmar

Myanmar and India are active partners in Bangladesh, India, Myanmar, Srilanka, Thailand Economic Cooperation (BIMSTEC). The countries are exploring ways and means for further cooperation for mutual benefit. A three-member delegation consisting of senior officials of Ministry of Science & Technology from Myanmar visited BIS on 23 February 2001 in connection with cooperation in the field of Metrology, Standards and Quality Certification. As Myanmar does not have any National



स्तर पर मानक निर्धारण गतिविधियों को चलाने के लिए सामान्यतः किए जाने वाले विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया, जो अन्ततोगत्वा औपचारिक मानक निकाय की स्थापना करने की दिशा में सहायक होंगे। शिष्टमंडल को हमारी विभिन्न उत्पाद प्रमाणन योजनाओं के विवरण अपनी अंतर्संचना सहित भा मा ब्युरो द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय मानक बनाने की क्रियाविधि से भी अवगत कराया गया।

विकासशील देशों के लिए शिष्टमंडल ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में, रुचि दिखाई ।

सार्क सहयोग कार्यक्रम

दक्षेस (सार्क) क्षेत्र के विशेषज्ञों के स्थायी समूह की पहली बैठक, जो नई दिल्ली में 29 और 30 जून 1999 को हुई थी, के परिणामस्वरूप 'मानकों की समरुपता के प्रति क्षेत्रीय दृष्टिकोण' विषय पर एक आधार-आलेख भा मा ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और दक्षेस देशों में प्रचालन के लिए इसे विदेश मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है। इसके अलावा मापमिति के क्षेत्र में विभिन्न नोडल बिन्दुओं की पहचान की गई है।

आईओआर-एआरसी

इंडियन ओशियन रिम ऐसोशिएशन फॉर रीजनल कोआपरेशन (आईओआर-एआरसी) के अंतर्गत मानक एवं प्रत्यायन विषय पर विशेषज्ञों की पहली बैठक श्रीलंका में नवम्बर 1998 को आयोजित की गई । बैठक के दौरान, मानकों में समरूपता लाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को मानक समूहों के समन्वयकर्ता के रूप में नोडल बिंदु के रूप में नियुक्त करने के दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर सदस्य देशों ने सहमति जताई। यह भी निर्णय लिया गया कि मानकों में समरूपता लाने के लिए, भा मा ब्यूरो कम से कम 20 प्राथमिकतावाली मदों पर सर्वेक्षण करने के लिए सदस्य देशों को प्रश्नावली परिचालित करेगा। उपरोक्त के आधार पर, सदस्य देशों को परिचालित करने के लिए भा मा ब्यूरो द्वारा प्रश्नावली तैयार की गई।

प्रश्नावली की मदद से, इस क्षेत्र के देशों के राष्ट्रीय मानकों में विविधता, जो व्यापार में तकनीकी अवरोधों (टीबीटी) के रूप में कार्य कर रही है, को पहचानने की संभावना होगी। इसलिए, प्रश्नावली के माध्यम से इस प्रकार एकत्रित किए गए इन्पुट, अन्ततः टीबीटी हटाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर मानकों में समरूपता पर विचार के लिए आवश्यक आधार होगें।

मानव संसाधन विकास

31 मार्च 2001 तक, भा मा ब्यूरों में कुल 2 121 व्यक्ति थे । वर्ष 2000-01 में भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में लगाये गए कार्मिकों की संख्या निम्नानसार है :

वर्ष 31 मार्च 2001 तक लगाए गए कार्मिकों की संख्या
33
236
1094

Standards Body at present, they were told about the various steps generally needed for taking up standards formulation activity at national level ultimately leading to establishment of a formal standards body at a later stage. The delegation was also informed about the details of our various product certification schemes, the procedure of establishing national standards followed by BIS alongwith its present infrastructure.

The delegation showed interest in various training programmes organized by BIS, specially the international training programme for developing countries.

SAARC Cooperation Programme

Consequent to the First Meeting of the Standing Group of Experts of SAARC region which was held on 29 & 30 June 1999 in New Delhi, a base paper on 'Regional Approach to Harmonization of Standards' has been prepared by BIS and forwarded to the Ministry of External Affairs for circulation to SAARC countries. In addition, various nodal points have been identified in the area of metrology.

IOR-ARC

The first meeting of Experts on Standards and Accreditation under Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) was held in November 1998 in Sri Lanka. During the meeting, the member countries agreed to appoint Bureau of Indian Standards as nodal point for Standards, Group as coordinator for the harmonization of standards on a proposal made by South Africa. It was decided also that BIS would circulate a Questionnaire to member countries to survey on at least 20 priority items for undertaking harmonization. Based on the above, a Questionnaire was prepared by BIS for circulation to the member countries.

With the help of the questionnaire, it will be possible to identify the variations in the national standards, of the countries of the regions, which are acting as technical barriers to trade (TBT). The inputs so collected through the questionnaire would form the necessary basis for considering harmonization of standards at the regional level, ultimately leading to removal of TBT.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

As on 31 March 2001, a total of 2 121 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2000-01 is given below:

Activity	Deployment of Personnel as on 31 March 2001
Corporate	33
Standards Formulation	236

1 094

Certification



प्रयोगशालाएँ	272	Laboratories	272
तकनीकी सहायता सेवाएँ	200	Technical Support Services	200
प्रशासन एवं वित्त	206	Administration and Finance	286
कुल	2121	Total	2121

अन जाति/अन जन जाति/अन्य पिछडी जातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	31 मार्च 2000 तक अनु.जाति/अनु.जन	31 मार्च 2001 तक अनु.जाति/अनु.जन		
	जाति/अन्य पिछड़ी जातियों	जाति/अन्य पिछड़ी जातियों		
	के कार्मिकों की संख्या	के कार्मिकों की संख्या		
क	80	81		
ख	80	90		
ग	129	123		
घ	159	154		
कुल	448	448		

स्टाफ कल्याण

भा मा ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए कल्याणकारी उपायों, जैसे सामृहिक बीमा योजना एवं होली डे होम जारी रखे । इस वर्ष. हिमाचल प्रदेश के शिमला, महाराष्ट्र के अलीबाग एवं सिक्किम के गंगटोक में स्थित भा मा ब्यूरो होली डे होम संबंधी करारनामे एक वर्ष के लिए बढ़ाये गए । सितम्बर 2000 से गोवा में एक होली डे होम स्थापित किया गया है।

SC/ST/OBC REPRESENTATION

Group	No. of SC/ST/OBC Personnel as on 31 March 2000	No. of SC/ST/OBC Personnel as on 31 March 2001	
А	80	81	
В	80	90	
C	129	123	
D	159	154	
Total	448	448	

Staff Welfare



Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme and Holiday Homes were continued. This vear. agreement in respect of BIS holiday homes at Shimla in Himachal Pradesh, Alibaug in Maharashtra and Gangtok in Sikkim have been reached for another one year. Another Holiday Home has been set up at Goa w.e.f. 1 September 2000.

भा मा ब्यूरो कार्मिकों को प्रशिक्षण

भा मा ब्यूरो ने मानव संसाधन विकास संबंधी अपने प्रयास जारी रखे। मानव संसाधन विकास के भाग के रूप में, भा मा ब्यूरों कार्मिकों को संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एवं विभिन्न एजेंसियों (भारत में ही) द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

संस्थागत प्रशिक्षण

वर्ष 2000-01 में विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए 221 (48 तकनीकी एवं 173 गैर तकनीकी) कार्मिकों के लिए 3 विभिन्न क्षेत्रों में 23 संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 991 मानव-श्रम दिवस लगे। कुछ प्रमुख क्षेत्र, जिनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, वे हैं विण्डो 98 एवं एमएस आफिस 97 पर कंप्यूटर प्रशिक्षणः कार्यदक्षता, उत्पादकता और समृह 'ग' एवं 'घ' कर्मचारियों के लिए स्वस्धार बढ़ाने हेत् प्रशिक्षण।

Training of BIS Personnel

BIS continued to make its efforts on development of human resource. As a part of the development of human resource, BIS personnel are imparted training through in-house training programmes and also by deputing them to the training programmes being organized by various agencies (within India).

In-house Training

In the year 2000-01, 23 in-house training programmes were organized in 3 different areas for 221 (48 Technical and 173 Non-Technical) personnel covering 991 man-days of different levels of employees. Some of the major areas where training programmes were organized are computer training on Windows 98 and MS Office 97, training on increasing efficiency, productivity and self improvement for Group 'C' and one for Group 'D' employees.



बाहरी एजेन्सियों द्वारा प्रशिक्षण

गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न बाहरी एजेन्सियों द्वारा आयोजित किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को भेज कर निरंतर लाभ लिया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 176 मानव-श्रम दिवसों में 17 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता हेत् 51 कार्मिकों को भेजा गया। कुछ महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं सरकारी विभागों में क्रय नीति एवं क्रियाविधि, गैस क्रोमेटोग्राफी, कुल उत्पादकता संबंधी रखरखाव, परमाण्विक अवशोषण स्पैक्ट्रोस्कोपी (एएएस), वित्तीय नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग पद्धति, पीए/पीएस/अन्य सचिवालयी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण, गुणता पद्धति अपेक्षाएँ एवं प्रयोगशाला प्रत्यायन, मानव संसाधन विकास नीति, परियोजना प्रबंध, निर्माता का प्रभावी कार्यान्वयन, जोखिम वाले रसायनों के भंडारण एवं आयात संबंधी नियम 1989 एवं संशोधन नियम 2000 सहित, जोखिम वाले अपशिष्ट पदार्थ संबंधी नियम 1989, एलटी स्विचिगयर की प्रशिक्षण तकनीकें, जीएलएस लैम्प, आविषालु जोखिम वाले अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंध, आईएसओ/ आईईसी-17025 एवं अन्य मूल्यांकन संबंधी मामले, पीने के पानी का परीक्षण, जुट के थैलों का परीक्षण इत्यादि हैं।

इनंके अतिरिक्त, विभिन्न बाहरी एजेन्सियों द्वारा 20 मानव-श्रम दिवसों में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो के 11 कार्मिकों को उनके प्रकार्यात्मक क्षेत्रों से संबद्ध कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया ताकि उन्हें उनके विषय की अद्यतन जानकारी से अवगत कराया जा सके।

कंप्यूटरीकरण एवं कार्यालय स्वचल

ब्युरो में एक व्यापक एवं विश्वसनीय सचना पद्धति विकसित करने एवं उपभोक्ता उद्योग को तीव्र एवं विश्वसनीय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ गति बनाये रखने की दृष्टि से, ब्यूरो ने मानक निर्धारण, प्रमाणन, लेखा एवं वित्त, बिक्री एवं सूचना सेवा जैसे विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे।

परियोजनाएँ सीडी-रोम पर भारतीय मानक

सभी भारतीय मानक एवं भा मा ब्यूरो के प्रकाशन अब सीडी-रोम पर इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में उपलब्ध है। ब्यूरो द्वारा इस परियोजना पर कोई पैसा नहीं खर्च किया गया तब भी 70 लाख रुपये प्रति वर्ष का राजस्व इस से प्राप्त किया जा रहा है। भा मा ब्यूरो कैटलॉग का सीडी-रोम तैयार किए जाने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।

Training by Outside Agencies

Besides the in-house training programmes, the advantage is continuously being taken of the various training programmes organized by different outside agencies by deputing officers and staff of BIS in their specialized programmes. During the year, 51 personnel were deputed to attend 17 different training programmes covering 176 man-days. Some of the important training programmes worth mentioning are Purchase Policy & Procedures in Government Departments, Gas Chromatography, Total Productivity Maintenance, Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), Financial Control & Reporting Systems, Training for PA/PS/other Secretarial Staff, Quality System Requirements & Lab Accreditation, Strategic HRD, Project Management, Effective Implementation of Manufacture, Storage & Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 and the Hazardous Wastes Rules, 1989 including Amendment Rules 2000. Testing Techniques for LT Switchgear, GLS Lamps, Toxic Hazardous Waste Management, ISO/IEC-17025 and other assessment related matters, Testing of Drinking Water, Testing of Jute Bags, etc.

In addition to these, 11 BIS personnel were also nominated to attend 8 different seminars, conferences, workshops, etc. relevant to their functional areas, covering 20 man-days organized by various outside agencies, so that they may be kept abreast with the latest knowledge on the subject.

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

INDIAN STANDARDS

In order to develop a comprehensive and reliable information system in the Bureau and in order to keep pace with technology to provide speedier and reliable service to consumer and the Bureau industry, continued its efforts towards computerization in various functional areas standards formulation. certification, accounts and finance, sales and information services.

PROJECTS

Indian Standards on CD-ROMs

All Indian Standards and BIS publications are now available in electronic format on CD-ROM. The Project is earning revenue to the tune of nearly Rupees seven million per annum without any expenditure by the Bureau. Efforts are also being made to bring out CD-ROM version of BIS Catalogue.



अग्नि से संरक्षण के लिए विशेषज्ञ पद्धति

भा मा ब्यूरो ने भवनों में अग्नि से संरक्षण के बारे में मानवीय निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के भाग-IV के आधार पर इंटरएक्टिव एवं उपभोक्ता के अनुकूल साफ्टवेयर विकसित किया है। यह भवनों के वर्गीकरण आग, धुएँ और लपटों से जीवन को होने वाले खतरों को न्यूनतम करने की आवश्यक अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करता है। इस सॉफ्टवेयर को भा मा ब्यूरों के बिक्री केन्द्र से बिक्री के लिए जारी किया जा रहा है।

भा मा ब्यूरो गतिविधियों की एकीकृत कंप्यूटरीकरण की परियोजना

भा मा ब्यूरो ने आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित अपनी गतिविधियों को कंप्यूटर के कुंजी पटल पर कंप्यूटरीकृत करने की महत्त्वाकांक्षीपूर्ण परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के लिए विभिन्न स्तरों पर सक्रिय विचार किया जा रहा है।

कार्यालय स्वचल सुविधाएँ

भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में पेंटियम-III लगे 80 कंप्यूटरों एवं 125 लेजर प्रिंटरों को लेने और लगाने का कार्य पूरा किया गया है। ये कंप्यूटर विण्डोज युक्त अद्यतन साफ्टवेयरों से सुसज्जित हैं।

ब्यूरों के विभिन्न विभागों/शाखा कार्यालयों द्वारा 30 मोडेम खरीदने और लगाने का कार्य पूरा किया गया ताकि सभी को इंटरनेट पर कार्य करने की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

इंटरनेट/ई-मेल

भा मा ब्यूरो केन्द्रीय प्रयोगशाला सिहत सभी क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों को अब इंटरनेट से जोड़ा गया है। इसके साथ, उपभोक्ता/उद्योग के लिए ब्यूरों के साथ प्रभावी रूप से संप्रेषण करना तत्पश्चात् संप्रेषण की लागत में कमी लाना संभव हुआ है।

भा मा ब्यूरो की वेबसाइट

भा मा ब्यूरो की वेबसाइट की विषयसूची को संशोधित रूप देने के लिए इसे पुनः डिजाइन किया गया है। भा मा ब्यूरो ने वेबसाइट का अपना डोमेन नाम पंजीकृत करा लिया है और भा मा ब्यूरो की वेबसाइट अब www.bis.org.in पर उपलब्ध है। भा मा ब्यूरो अधिनियम, नियमों एवं विनियमों से संबद्ध पृष्ठों को वेबसाइट में जोड़ा गया है। भा मा ब्यूरो वेबसाइट में सूचना ढूँढने को सुविधाजनक बनाने के लिए अब इसे वर्ल्ड वाइड वेब में मुख्य सर्च इंजिनों के

साथ पंजीकृत किया गया है। भूकम्प संबंधी अभियांत्रिकी एवं भा मा ब्यूरो द्वारा आरंभ की गई स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग गोलना पर भारतीय मानकों जैसे कुछ सामयिक विषयों को भी इसमें जोड़ा गया है। भा मा ब्यूरो की मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं की सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी गई है। भा मा ब्यूरो वेबसाइट पर बायर्सगाइड (भा मा ब्यूरो लाइसेंसधारियों का डाटाबेस) होस्ट करने के लिए कार्यवाही आरंभ की गई है।

Expert System for Fire Protection

BIS has developed an interactive and user-friendly software based on the National Building Code of India Part IV, for facilitating human decision on Fire Protection in Buildings. It specifies classification of buildings and the necessary requirements to minimize danger to life from fire, smoke and fumes. This software has been released for sale through BIS sales outlets.

Project on Integrated Computerization of BIS Activities

BIS has embarked upon an ambitious project to computerize key activities with the use of modern technology. The project is under active consideration at various levels.

Office Automation Facilities

Procurement and installation of over 80 Pentium-III based computers and 125 laser printers have been completed at various BIS offices. The computers are equipped with latest Windows based software.

Procurement and installation of more than 30 modems were also completed to facilitate Internet access by various Departments/ Branch offices.


Internet/E-Mail

All regional and branch offices including BIS Central Laboratory are now connected to Internet. With this, it has been possible for the Consumer/Industry to effectively communicate with the Bureau and substantially reduce communication cost.

BIS Web Site

The contents of BIS web site have been redesigned to give it an improved look. BIS has registered its domain name for the web site and BIS web site is now available at http://www.bis.org.in. Pages related to BIS Act, Rules and Regulations have been added to the web site. BIS web site is now registered with major search engines in World Wide Web to facilitate searching of information. Some topics of current

interest like Indian Standards on Earthquake Engineering and Hallmarking scheme launched by BIS for Gold Jewellery, have been added. The list of BIS recognized laboratories is available on BIS web site. Action has also been initiated to host Buyers' Guide (database of BIS licensees) on BIS web site.





वित्त, लेखा एवं लेखा-परीक्षा

लगातार बारहवें वर्ष 2000-01 के लिए भा मा ब्यूरो ने भारत सरकार की किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता के बिना अपने गैर-योजना व्यय को पूरा करने में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया ।

मार्जिनल बढ़त प्रदर्शित करता हुआ वार्षिक व्यय 1999-2000 के

रु. 5 703.2 लाख के खर्च की तुलना में रु. 5 776.2 लाख रहा । 2000-01

के दौरान रु. 734.0 लाख की पेंशन राशि के भुगतान को इस व्यय में

शामिल नहीं किया गया है। यह राशि पेंशन निधि खाते में प्रभारित की गई

है। प्रचालन अधिशेष पिछले वर्ष के रु. 1 044.7 लाख की तुलना में

राजरव (गैर-योजना)

वर्ष 2000-01 के दौरान, पिछले वर्ष के रु. 6 747.9 लाख की आय की तुलना में आय रु. 7 229.6 लाख रही, जिसके परिणामस्वरूप 7.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई । आय में सर्वाधिक योगदान प्रमाणन मृहरांकन शुल्क का रहा, जो पिछले वर्ष के रु. 6 063.6 लाख की तुलना में इस वर्ष 6 376.3 लाख था। (आकृति 6 देखें)

वर्ष 2000-01 में 1.28 प्रतिशत

रु. 1 453.4 लाख रहा।

आय एवं व्यय

723 189 909 69 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 🗖 कुल आय 🔲 प्रमाणन आय 🔲 मानकों की विक्री सहित अन्य आय Other Income including Sale of Standards

आकृति 6 आय (दस लाख रुपयों में)

Fig. 6 Income (In million Rupees)

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

For the twelfth consecutive year i.e. 2000-01, BIS achieved the goal of self reliance in meeting its non-plan expenditure without any budgetary support from the Government of India.

Revenue (Non-Plan)

Total income during the vear 2000-01 was Rs 722.96 million against Rs 674.79 million in the previous year resulting in a growth of 7.14 percent. The largest contribution to the income was certification marking fee which stood 637.63 million against Rs 606.36 million in the previous year (see Fig. 6).

Income & Expenditure

Expenditure during the

year 2000-01 has risen to Rs 577.62 million from Rs 570.32 million during 1999-2000 depicting a marginal increase of 1.28 per cent. The expenditure does not include the pension payments during 2000-01 amounting to Rs 73.40 millions which have been charged to Pension Fund Account. The operative surplus for the year stood at Rs 145.34 million as compared to Rs 104.47 million in the previous year.

वर्ष 2000-01 और 1999-2000 की आय एवं खर्च का तुलनात्मक A comparative statement of Income and Expenditure during 2000-01 vis-a-vis 1999-2000 is as under: विवरण निम्नानसार है:

144.1			
आय	रुपए ट	रस लाख में	वृद्धि/कमी (-)
INCOME	(Rupees	in millions)	Increase/Decrease(-)
	1999-2000	2000-01	
1. प्रमाणन शुल्क Certification Fee	606.36	637.63	5.15%
2. मानकों की बिक्री Sale of Standards	29.43	36.45	23.85%
3. गुणता पद्धति शुल्क Quality System Fee	23.30	24.65	5.80%
4. जमाओं पर ब्याज Interest on Deposits	6.34	8.69	37.07%
5. विविध आय Misc. Income	9.36	15.54	66.02%
कुल Total	674.79	722.96	7.14%
व्यय Expenditure			
1. वेतन एवं भत्ते Pay & Allowance	327.73	337.23	2.90%
2. सेवानिवृत्ति लाम Retirement Benefits	56.20	1.75*	
3. प्रचालन संबंधी अन्य खर्च Other Operating Expenses	170.03	183.59	7.98%
4. प्रधानमंत्री राहत निधि में अंशदान Contribution to P.M. Relief Fund	- b	10.00	
5. मूल्यहास Depreciation	16.36	30.45	86.12%
6. पेंशन निधि के लिए प्रावधान Provision for Pension Fund	#	14.60	
कुल Total	570.32	577.62	1.28%
अधिशेष Surplus	104.47	145.34	39.12%

^{*}वर्ष 2000-01 के दौरान पेंशन निधि से वास्तविक पेंशन (734.0 लाख) प्रभारित की गई। Actual Pension (73.40 million) charged to Pension Fund during 2000-01.



भारतीय मानक ब्यूरो

31 मार्च 2001 का पक्का चिट्ठा **BUREAU OF INDIAN STANDARDS BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2001**

	अनुसूची SCHEDU	I F	31.3.2001 को स्थि As on 31.3.2001	ति	31.3.2000 को स्थिति AS ON 31.3.2000
निधि के स्रोत	COLLEGE		70 011 0110.2001		70 011 01.0.2000
SOURCES OF FUNDS					
पूँजीनिधि	एन				
Capital Fund	N		358716545		294312395
रिजर्व और निधियाँ	ओ				
Reserves & Funds	0		1521864916		1321677888
乗叩	पी				
Loans	P		24800000		30000000
	योग TOTA	L	1905381461		1645990283
निधियों का उपयोग					
APPLICATION OF FUNDS					
अचल परिसम्पत्तियाँ	क्यू				
Fixed Assets	Q		217647953		188892652
निवेश	आर				
Investments कार्यकारी पूँजी	R		1383876946		1193011804
WORKING CAPITAL					
चल परिसम्पत्तियाँ	एस S	225459615		000000400	
Current Assets, Loans & Advances ऋण और अग्रिम	5	335458615		293232428	
नामे : चालू देयता	ਟੀ				
Less:Current Liabilites	T	31602053	303856562	29146601	264085827
			0000000	20110001	20100021
	योग TOTA	L	1905381461		1645990283

लेखा संबंधी नीतियाँ/लेखा पर टिप्पणियाँ परिशिष्ट I निवेश का विवरण परिशिष्ट II Accounting Policies/Notes on Accounts Appendix-I. Details of Invesments Appendix-II. उपरोलिखित अनुसूचियाँ लेखे का भाग हैं।

The Schedules referred to above form part of Accounts.

हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-
(एस. नौटियाल)	(बी.जी. शंकर राव)	(एस.के.दत्ता)	(एच.आर. आहुजा)
(S. Nautiyal)	(B.G. Sankara Rao)	(S.K. Datta)	(H.R. Ahuja)
महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (लेखा)	निदेशक (वित्त)
Director General	Dy. Director General (Finance)	Director (Accounts)	Dierctor (Finance)



31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय का लेखा INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2001

		अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
	आय INCOME		2000-2001	1999-2000
1	प्रमाणन शुल्क			
	Certification Fees		637635472	606355678
2	गुणता पद्धति प्रमाणन शुल्क			
	Quality System Certification Fees		24655291	23298672
3	मानकों की बिक्री	Ϋ́		
	Sales of Standards	Α	36447346	29433416
4	अन्य आय	बी		
	Other Income	В	24226149	15704912
5	सरकारी अनुदान			
	Govt. Grant			
	योग TOTAL		722964258	674792678
	व्यय EXPENDITURE			
1	वेतन और भत्ते	सी		
	Pay and Allowances	C	337232964	327732825
2	सेवा निवृत्ति लाभ	डी	001202304	021102023
2	Retirement Benefits	D	1745347	56202537
3	अन्य स्टाफ लाभ	র্ফ	1743047	30202307
J	Other Staff Benefits	Ě	15012158	13894467
4	यात्रा व्यय	एफ	15012155	10004407
-	Travelling Expenses	F	25582427	23955248
5	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे	, জী	25502427	20303240
0	Subscription to International Organization		10748101	9962690
6	उत्पादन	एच	10740101	5502000
0	Production	Н	8012625	7944714
7	परीक्षण	आई	0012020	7011111
,	Testing	I	37992720	33696456
8	प्रचार	जे	0,002,20	33333133
J	Publicity	J	7420611	6078001
9	कार्यालय व्यय	के	7.120011	00.000.
Ü	Office Expenses	K	45822643	43351673
10	मरम्मत व रखरखाव	एल	10022010	10001010
10	Repairs & Maintenance	Ĺ	16962799	17815720
11	अन्य व्यय	एम	.0002100	
2.7	Other Expenses	M	26047219	13325618
12	मृत्यहास	क्यू	20011210	10020010
	Depreciation	Q	30448849	16357311
13	पेंशन निधि के लिए प्रावधान	_		
	Provision for Pension Fund		14596000	_
	योग TOTAL		577624463	570317260
अधिशे	ष सामान्य आरक्षित निधि को स्थानान्तरित			
	lus transferred to General Reserve Fund		145339795	104475418



अनुसूची ए — मानकों की बिक्री SCHEDULE A — SALE OF STANDARDS

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2000-2001	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1999-2000
1.	भारतीय मानक Indian Standards	32724560	27515061
2.	विदेशी प्रकाशन (कमीशन) Overseas Publications(Commission)	3722786	1918355
	योग TOTAL	36447346	29433416
		-	

अनुसूची बी — अन्य आय SCHEDULE B — OTHER INCOME

1.	निवेश पर ब्याज Interest earned on Investment		
	अर्जित सकल ब्याज Gross Interest earned	122720454	99165274
	नामे : निधि को अंतरित ब्याज		
	Less: Interest Transferred to Earmarked Funds	-114030000	-92827000
	निवल ब्याज Net interest	8690454	6338274
2.	सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण शुल्क		
	Confrences, Consultancy & Training Fees	5307411	3231064
3.	विविध Miscellaneous	10228284	6135574
			zi
	योग TOTAL	24226149	15704912
		-	

अनुसूची सी — वेतन और भत्ते SCHEDULE C — PAY AND ALLOWANCES

1.	वेतन PAY			
	महानिदेशक Director General		121706	294550
	अधिकारी Officers		92944148	91581239
	स्टाफ Staff		106845772	105323604
2.	भत्ते ALLOWANCES			
	महानिदेशक Director General		73642	190736
	अधिकारी Officers		61264359	58113286
	स्टाफ Staff		75983337	72229410
		योग TOTAL	337232964	327732825



अनुसूची डी — सेवानिवृत्ति लाभ	SCHEDULE D — RETIREMENT	BENEFITS
-------------------------------	-------------------------	----------

			चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEA
			2000-2001	1999-2000
+	निलिखित में अंशदान Contributions to:			
	भविष्य निधि Provident Fund		1045347	202537
	पेंशन निधि Pension Fund			55500000
	ग्रेच्युटी निधि Gratuity Fund		700000	500000
		योग TOTAL	1745347	56202537
भ	नुसूची ई — अन्य स्टाफ लाभ SCI	IEDULE E — O	THER STAFF BENEFITS	
	के. सरकार स्वा.से. और अन्य चिकित्सा लाभ	e e		
	CGHS and other Medical Benefits		9493196	9235937
	कर्मचारी कल्याण Staff Welfare		2668319	2349112
	छुट्टी यात्रा रियायत Leave Travel Cond	ession	2850643	2309418
		योग TOTAL	15012158	13894467
2.	अधिकारी एवं स्टाफ Officers and Staff		23592259	19585442
3.	समिति सदस्य Committee Members		164425	170096
		योग TOTAL		
н- н-		ह चंदे TO INTERNATIO tandards Organiza	25582427 DNAL ORGANIZATIONS ation 5910474	170096
я· 60	समिति सदस्य Committee Members पुसूची जी — अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वे HEDULE G — SUBSCRIPTION अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International S	ह चंदे TO INTERNATIO tandards Organiza	25582427 DNAL ORGANIZATIONS ation 5910474	170096 23955248 5602628
	समिति सदस्य Committee Members पुसूची जी — अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वे HEDULE G — SUBSCRIPTION अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International S	ह चंदे TO INTERNATIO tandards Organiza al Electrotechnical योग TOTAL	25582427 DNAL ORGANIZATIONS ation 5910474 Commission 4837627 10748101	170096 23955248 5602628 4360062
स	समिति सदस्य Committee Members पुसूची जी — अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वे CHEDULE G — SUBSCRIPTION अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International S अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग Internation	ह चंदे TO INTERNATIO tandards Organiza al Electrotechnical योग TOTAL	25582427 DNAL ORGANIZATIONS ation 5910474 Commission 4837627 10748101	170096 23955248 5602628 4360062
स [्]	समिति सदस्य Committee Members पुसूची जी — अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वे HEDULE G — SUBSCRIPTION अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International S अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग Internation	ह चंदे TO INTERNATIO tandards Organiza al Electrotechnical योग TOTAL	25582427 DNAL ORGANIZATIONS ation 5910474 Commission 4837627 10748101	170096 23955248 5602628 4360062 9962690
	समिति सदस्य Committee Members पुसूची जी — अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वे HEDULE G — SUBSCRIPTION अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International S अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग Internation	ह चंदे TO INTERNATIO tandards Organiza al Electrotechnical योग TOTAL	25582427 DNAL ORGANIZATIONS ation 5910474 Commission 4837627 10748101 ICTION 5498014	170096 23955248 5602628 4360062 9962690



अनुसूची आई — परीक्षण SCHEDULE I — TESTING

		चालू वर्ष CURRENT YEAR	
		2000-2001	1999-2000
1.	बाहरी प्रयोगशालाओं को परीक्षण शुल्क का भुगतान		
	Testing Fees Paid to Outside Labs	30696087	28218389
2.	प्रयोगशाला में खपतयोग्य सामान और प्रयोगशाला उपकरणों की		
	. मरम्मत और रखरखाव		
	Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Lab Equipment	6190330	4301134
3.	बाजार से खरीदे गए नमूने		
	Market Samples	1106303	1176933
	योग TOTAL	37992720	33696456
अ	नुसूची जे — प्रचार SCHEDULE J — PUBLICITY		
1.	प्रदर्शनी Exhibition	371625	387378
2.	विज्ञापन Advertising	3541716	3242288
3.	श्रव्य-दृश्य और अन्य Audio-Visuals and Others	3507270	2448335
	योग TOTAL	7420611	6078001
अ	योग TOTAL नुसूची के — कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFIC	-	6078001
3 1.	796 374	-	5022433
	नुसूची के — कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFIC	E EXPENSES	
1.	नुसूची के — कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFIC स्टेशनरी Stationery	E EXPENSES 5370745	5022433
1. 2.	नुसूची के — कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFIC स्टेशनरी Stationery डाक व्यय Postage	5370745 4936578	5022433 4724195
1. 2. 3.	नुसूची के — कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFIC स्टेशनरी Stationery डाक व्यय Postage टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex	5370745 4936578 8181456	5022433 4724195 7253818
1. 2. 3. 4.	स्टेशनरी Stationery डाक व्यय Postage टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex भर्ती Recruitment	5370745 4936578 8181456 911107	5022433 4724195 7253818 708561
1. 2. 3. 4. 5.	रुदेशनरी Stationery डाक व्यय Postage टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex भर्ती Recruitment जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment	5370745 4936578 8181456 911107 901040	5022433 4724195 7253818 708561 943616
1. 2. 3. 4. 5.	रदेशनरी Stationery डाक व्यय Postage टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex भर्ती Recruitment जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment वर्दी Liveries	5370745 4936578 8181456 911107 901040 462364	5022433 4724195 7253818 708561 943616 383583
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	रदेशनरी Stationery डाक व्यय Postage टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex भर्ती Recruitment जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment वर्दी Liveries भाड़ा और ढुलाई Freight and Cartage	5370745 4936578 8181456 911107 901040 462364 579480	5022433 4724195 7253818 708561 943616 383583 563525
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	रटेशनरी Stationery डाक व्यय Postage टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex भर्ती Recruitment जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment वर्दी Liveries भाड़ा और दुलाई Freight and Cartage बीमा और बैंक प्रभार Insurance and Bank Charges	5370745 4936578 8181456 911107 901040 462364 579480 1061592	5022433 4724195 7253818 708561 943616 383583 563525 949614
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10	स्टेशनरी Stationery डाक व्यय Postage टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex भर्ती Recruitment जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment वर्दी Liveries भाड़ा और ढुलाई Freight and Cartage बीमा और बैंक प्रभार Insurance and Bank Charges विविध Miscellaneous	5370745 4936578 8181456 911107 901040 462364 579480 1061592 1561049	5022433 4724195 7253818 708561 943616 383583 563525 949614 1318960



अनुसूची एल — मरम्मत और रखरखाव SCHEDULE L — REPAIRS AND MAINTENANCE

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2000-01	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAI 1999-2000
1.	फर्नीचर एवं उपस्कर Furniture and Equipment	1673000	2348394
2.	भवन Building	13292562	13839984
3.	वाहन Vehicles	1997237	1627342
	योग TOTAL	16962799	17815720
अनु	पुत्तूची एम — अन्य व्यय SCHEDULE M — OTHER	EXPENSES	
1.	अनुसंघान एवं परामर्श Research and Consultation	_	_
2.	सम्मेलन, परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम		
	Conferences, Consultancy and Training Programme	4379207	2132697
3.	इलैक्ट्रॉनिकी ऑकड़ा संसाधन Electronic Data Processing	2509471	2202689
4.	पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय		
	Library Subscription and Other Expenses	507631	310005
5.	लेखा परीक्षा शुल्क और विधि प्रभार		
	Audit Fees and Legal Charges	1443632	1283185
6.	स्टाफ प्रशिक्षण Staff Training	738328	1125004
7.	आवास निर्माण ऋण पर ब्याज/ब्याज पर छूट		
	Interest/Interest Subsidy on House Building Loan	3292334	3281871
В.	अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on Other Loans From :		
	ए) केन्द्र सरकार		
	a) Central Government	_	_
	बी) अन्य स्रोतों से — विश्व बैंक ऋण		
	b) Other Sources-World Bank Loan	263581	314872
9.	डूबते ऋण बट्टे खाते में डाले Bad Debts Written Off	1855	8570
10.	गुणता पद्धति प्रभार Quality System Charges	2691020	2666725
11.	प्रधानमंत्री राहत कोश में अंशदान		
	Contribution to Prime Minister Relief Fund	10000000	_
12.	हिन्दी संवर्धनात्मक गतिविधियाँ		
	Hindi Promotional Activities	220160	_
	योग TOTAL	26047219	13325618



अनुसूची एन — पूँजी निधि SCHEDULE N — CAPITAL FUND

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 2000-2001	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 1999-2000
पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार		
As per last Balance Sheet	294312395	273458518
जमा : Add:		
i) योजनागत अनुदान से पूँजीगत परिसम्पत्तियों की लागत		
(अनुसूची 'ओ' की क्रम सं. १ देखें)		
Cost of assets capitalized from Plan Grants	7179814	586610
(Refer Schedule 'O' SI No.1)		
ii) विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि लेखे में अंतरण		
Transfer from World Bank Loan Redemption F	Fund Account 5200000	5200000
iii) वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय		
(अवसंरचना विकास निधि से अंतरित राशि)		
Capital Expenditure during the year		
(Amount Transferred from	52066633	15072507
Infrastructure Development Fund)		
योग TOTA	358758842	294317635
नामे : Less:		
i) बट्टे खाते में डाला पूँजीगत निवेश		
Capital Investment Written Off	42297	5240
योग TOTA	358716545	294312395

क्र.	विवरण		अप्रैल 2000	2000-01 के	अन्य प्राप्तियाँ/	वर्ष 2	000-01 के दौरा	न उपयोग	31 मार्च 200
सं.			को शेष निधि	दौरान अनुदान प्राप्ति	ायाँ विनियोजन	Utilizi	ng during the yea	r 2000-01	की स्थिति
SI No.	Particulars		Fund Balance as on Apr 2000	Grant received during 2000-01	Other receipts/ Appropriations	पूँजी Capital	राजस्व Revenue	योग Total	As on 31 March 2001
1	पूंजीकरण की प्रक्रिया में निधियाँ (परियोजना का नाम)								
	FUNDS IN THE PROCESS OF CAPITALIZAT	ION (Name	e of the projects)						
	जीओआई में योजनागत निधि PLAN FUND FROM	GOI							
	ए) प्रयोगशाला उपस्कर, कंप्यूटर तथा संबद्घ उपस्कर	निधियाँ							
	a) Laboratory equipment, computer and		10517273	_	500146	6596990	_	6596990	4420429
	associated equipment fund				(Interest)				
	बी) कोलकाता प्रयोगशाला-सह-कार्यालय भवन निधि								
	b) Kolkata Lab-cum-Office building fund		458933	_	_	_	_	-	458933
	सी) एस एंड टी परियोजना निधि								
	c) S&T Project Fund		77885	<u> </u>		_	-	_	77885
	डी) गैट परियोजना निधि								
	d) GATT Project Fund		162370	_	-	_	_	_	162370
	ई) प्रशिक्षण संस्थान निधि								
	e) Training Institute Fund		1957000	16000000	_	582824	_	582824	17374176
	एफ) वर्तमान भवन में परिवर्धन-मुख्यालय निधि								
	f) Additions to existing Building — HQ Fund	-	192879						192879
	योग TOTAL		13366340	16000000	500146	7179814		7179814	22686672*
	-								
2	कर्मचारी निधियाँ EMPLOYEES FUND								
	ए) ग्रेच्युटी निधि Gratuity Fund		500723	_	700000	_	643377	643377	557346
	बी) हितकारी निधि Benevolent Fund		177888	· ·	262941	_	695000	695000	(-)254171
	सी) सामान्य भविष्य निधि G.P. Fund		390340862	-	115273234	_	65926625	65926625	439687471
	डी) अंशदान भविष्य निधि C.P. Fund		6666304	_	1231775	-	2631131	2631131	5266948
			17 7 1						
	योग TOTAL		397685777	_	117467950	_	69896133	69896133	445257594



अन्य विशेष परियोजनाएँ निधि

OTHER SPECIFIC PROJECT FUNDS

	ए) विश्व बैंक प्रतिदान निधि World Bank Loan Redemption Fund	4 00007000		0067000		5000000	500000	07004000
	Ry 1989 90 910417 1714 World Bank Loan Redemption Fund	d 38867000	_	3367000	_	5200000	5200000	37034000
	बी) अवसंरचना विकास निधि Infrastructure Development Fund	297856144	_	37889000	52066633	_	52066633	283678511
	सी) पेंशन निधि Pension Fund	461455780	_	199816847**	_	73404283	73404283	587868344
	योग TOTAL	798178924		241072847	52066633	78604283	130670916	908580855
4	सामान्य आरक्षित निधि GENERAL RESERVE FUND	112446847	-	(–)112446847 145339795			=	145339795
	महायोग GRAND TOTAL	1321677888	16000000	391933891	59246447	148500416	207746863	1521864916

^{*} रूपये 22688672 में से रूपये 9038031 की राशि का उपयोग किया गया और अनुसूची 'एस' की मद सं. 3 सी (ii) में इसे अग्रिम के रूप में दिखाया गया । अतः 31.3.2001 तक अनुदान की खर्च की गई राशि रूपये 13648641 थी।



^{*} Out of Rs. 22688672, a sum of Rs. 9038031 has been utilized and shown as advance under Schedule S Item 3c(ii), therefore, the unspent balance of grant as on 31.3.2001 amounts to Rs. 13648641.

^{**} कृपया लेखा टिप्पणी सं. (ii) देखें ।

^{**} Please refer to Accounting Note No. (ii)



अनुसूची पी — ऋण SCHEDULE P — LOANS

ऋण की प्रकृति		31 मार्च 2000 को स्थिति	2000-01 During	31 मार्च 2001 को शेष	
		As on 31	प्राप्तियाँ	भुगतान	Balance on
Nat	ure of Loan	March 2000	Receipts	Repayment	31 March 2001
i)	भारत सरकार से प्राप्त ऋण				
	Loans from Govt. of India	_	_	_	<u> </u>
	योग Total	_	_	_	
ii)	अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण				
	Loans from other sources				
1.	विश्व बैंक World Bank	3000000	_	5200000	24800000
	योग Total	3000000	_	5200000	24800000
	महायोग Grand Total	3000000		5200000	24800000



अनुसूची आर — निवेश (लागत पर) SCHEDULE R — INVESTMENTS (AT COST)

क्रम	विवरण	31 मार्च 2000	जमा	कटौतियाँ	31 मार्च 2001
सं.		को स्थिति	*	(बिक्री/परिपक्वता)	को स्थिति
SI No.	Particulars	As on 31 March 2000	Additions (Deductions Sale/Maturity)	As on 31 March 2001
1.	विशिष्ट निधि का निवेश				
	Investment of Specified Funds				
	1.1 बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं में जमा				
	Deposits with Banks and Financial Institutions 1.2 अवसंरचना विकास निधि निवेश लेखा	Under: —	148637693	148637693*	_
	Infrastructure Devlopment Fund Investment Acco	ount 297856144	_	14177633	283678511
	Pension Fund Investment Account 1.4 सामान्य आरक्षित निधि निवेश लेखा	459657622	128210722	· ·	587868344
	General Reserve Fund Investment Acco		31237604	_	62184640
	World Bank Loan Redemption Fund Investment Ac		3367000	5200000	37034000
	योग TOTAL	827327802	311453019	168015326	970765495
2.	कर्मचारी निधि का निवेश				
	Investment of Employees Funds				
	2.1 सा.भ.निधि**				
	G.P.Fund**	354252620	47244463	10612	401486471
	2.2 अंशदान भ. निधि**				
	C.P.Fund**	5372280	623598	_	5995878
3.	निवेश (अन्य)				
	Investment (others)				
	3.1 योजनागत परियोजनाओं से	1000100			
	Out of Plan Projects	4329102		_	4329102
	3.2 अ.शा.का. भवन परियोजना	1000000			1000000
	ABO Building Project	1300000	_	_	1300000
	3.3 क्षे.का./शा.का. ROs/BOs	430000	_	430000	_
			2		
	महायोग GRAND TOTAL	1193011804	359321080	168455938	1383876946

^{*} विभिन्न निधि निवेश लेखों को अंतरित।

^{*} Transfered to various Fund Investment accounts.

^{**} कर्मचारियों को अग्रिम अनुसूची एस (मद 4)-'चल परिसम्पत्तियाँ-ऋण तथा अग्रिम' के अंतर्गत दिखाए गए हैं निवेश के विवरण परिशिष्ट-II में संलग्न हैं।

^{**} The advances to employees have been shown under Schedule S (item 4)-Current Assets - Loans & Advances. The deails of investment are enclosed-Appendix-II.



अनुसूची एस — चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम SCHEDULE S — CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

क्रम	सं. विवरण	चालू वर्ष 2000-2001	पिछला वर्ष 1999-2000
SL	PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
NO.		2000-2001	1999-2000
	7		
1.	भण्डार (लागत पर)		
	Stock (at cost)		
	ए) छपाई का कागज		1.0000000000000000000000000000000000000
	a) Printing Paper	1222848	2629512
	बी) प्रयोगशाला में उपकरण और स्टोर का सामान		
	b) Laboratory Apparatus and Stores	1834658	1373092
	सी) स्टेशनरी तथा कंप्यूटर की खपत योग्य सामग्री		
	c) Stationery & Computer Consumables	1484691	886423
	डी) मरम्मत और रख-रखाव की खपत योग्य सामग्री		
	d) Repair & Maintenance Consumables	144398	132506
2.	फुटकर लेनदारियाँ		
	Sundry Debtors		
	ए) प्रकाशनों की बिक्री		
	a) Sale of Publications	4719742	4377456
	बी) प्रमाणन		
	b) Certification	7163617	6309577
	सी) प्रमाणन - आवेदन शुल्क की बकाया राशि, नवीकरण शुल्क		
	और वार्षिक लाइसेंस शुल्क, संदिग्ध ऋण और अन्य		
	c) Certification—revision arrears of application fee		
	renewal fee and annual licence fee-doubtful debts	4574572	-
	—others	307632	ş— ş
3.	ऋण, अग्रिम और जमा		
	Loans, Advances and Deposits		
	ए) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण		
	a) Loans to employees for:		
	i) वाहन की खरीद के लिए		
	Purchase of Conveyance	15729382	16824495
	ii) आवास निर्माण के लिए	9.	
	House Construction	22128995	14817289
	iii) कंप्यूटर के लिए		
	Computer	3029795	1699425
	बी) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए अग्रिम		
	b) Advances to employees for:		
	i) त्यौहार		
	Festival	666675	828645
	ii) प्राकृतिक आपदाएँ		
	Natural Calamities	9966	54490
	iii) यात्रा व्यय		
	Travelling Expenses	3108628	4660457
	iv) छुट्टी यात्रा	0100020	
	Leave Travel	726760	799167
	v) पंखा अग्रिम	120100	, , , , , ,
	Fan Advance	1000	7120
	, all havallos	1000	7120



क्रम र	प्तं. विवरण	चालू বৰ্ष 2000-2001	দিछला वर्ष 1999-2000
SL NO.	PARTICULARS	2000-2001	PREVIOUS YEAR 1999-2000
	सी) समायोज्य अग्रिम		
	c) Adjustable Advances		
	i) गैर योजना		
	Non-Plan	8716302	9538553
	ii) योजनागत परियोजना योजनाएँ		
	Plan Project Scheme	9038031	9077199
	iii) विश्व बैंक परियोजना योजनाएँ		
	World Bank Project Schemes	10978442	18192804
	डी) वसूली योग्य लेखे		
	d) Accounts Recoverable		
	i) लेखे वसूली योग्य (कर्मचारियों से)		
	Accounts Recoverable (Employees)	129414	122998
	ii) सरकारी पार्टियों से वसूली योग्य		
	(आईपीटी के संदर्भ में वित्त मंत्रालय व विदेश मंत्रालय से)		
	Recoverables form Govt. Parties:		
	(From MOF and MEA towards ITPs)	3922638	2815261
	iii) लेखे वसूली योग्य (अन्य)		
	(जीआईसी लेखे में अंतर सहित)		
	Accounts Recoverable (Other)		
	(Including Difference in GIS Account)	4746949	4005203
4.	अं.भ.नि./सा.भ.नि. से अग्रिम		
	Advances from CPF/GPF		
	i) सा.भ.नि.		
	GPF	18446785	18664047
	ii) अ.भ.नि.		
	CPF	234580	239770
5.	प्रतिभूति जमा		
	Security Deposits	1890699	2029112
6.	पूर्वप्रदत्त व्यय		
	Prepaid Expenses	3443560	3966542
7.	स्रोत पर काटा गया कर		
	Tax Deducted at Sources	4638456	2184195
8.	ब्याज प्राप्ति तथा बकाया		
	Interest Accrued & Due		
	गैर योजनागत		
	Non-Plan	97279312	59210781
	— सा.भ.नि./अ.भ.नि.		
	GPF/CPF	14959713	13717025
	 योजनागत परियोजनाएँ 		
	Plan Projects	850090	349944
	रोकड़ तथा बैंक शेष		
	Cash and Bank Balances ए) बैंक में		
	a) With Banks	66055716	90193174
	बी) हाथ में	00033710	90193174
	b) In hand (including imprest)	642823	980590
	सी) फ्रेंकिंग मशीन	042023	980390
	c) Franking Machine	253746	245576
	डी) पारवहन में चैक - योजनागत	255740	243376
	गैर-योजनागत		
	d) Cheques in Transit - Plan	16000000	S_451
		6378000	220000
	- Non-plan	63/6000	2300000
	योग TOTAL	335458615	293232428
			230202420



अनुसूची टी — चालू देयताएँ SCHEDULE T — CURRENT LIABILITIES

क्रम सं. विवरण चालू वर्ष 2000-2001	पिछला वर्ष 1999-2000
SL PARTICULARS NO. CURRENT YEAR 2000-2001	PREVIOUS YEAR 1999-2000
1. फुटकर देनदारियाँ	
Sundry Creditors	100
ए) देश में	
a) Inland 8800207	8430391
बी) विदेश में	
b) Abroad 6182668	4800000
सी) बयाना राशि	
c) Earnest Money 5866888	5950840
2. ग्राहक बकाया	
Customer Balances	
ए) बिक्री	(P.E.) 0.002.2.11 (40.07.47)
a) Sales 4212208	3725616
बी) प्रमाणन	
b) Certification 3745187	3313036
3. भुगतान योग्य लेखे (कर्मचारियों के)	
Accounts Payable (Employees) 405897	439359
4. अप्रदत्त वेतन और मजदूरी	50540
Unpaid Salaries and Wages 83058	50519
5. बिहार सरकार (प्रयोगशाला उपस्कर खाता)	205526
Govt. of Bihar (A/c Lab. Equipment) 395526	395526
6. गुजरात सरकार (अ.शा.का.भवन खाता) Govt. of Guiarat (ABO Building A/c) 1312332	1442020
3 /	1443232
7. क्वासम परियोजना - वापसी योग्य राशि QAWSM Project—Amount Refundable 598082	598082
CAVVOIVI FTOJECI—AMOUNT NETUNDADIE	330002
योग TOTAL 31602053	29146601



परिशिष्ट-।

लेखा संबंधी नीतियाँ/लेखा पर टिप्पणियाँ

लेखाविधि संबंधी नीतियाँ

आय और व्यय का अभिज्ञान

- क) सामान्यतया आय की गणना ब्याज आय छोडकर जिसकी संभृति आधार पर गणना की जाती है, नकदी के आधार पर की जाती है।
- ख) व्यय की गणना सामान्यतया वाणिज्य पद्धति के अनुसार की

निवेश

निवेश का विवरण लागत पर दिया जाता है।

iii) मालसूची

भारतीय मानकों के स्टॉक और अन्य प्रकाशनों का मूल्यांकन नहीं किया गया है और जैसा कि इनका तैयार बाजार मान नहीं है इसलिए लेखों में भी इन्हें नहीं लिया गया है किन्तु पेपरों, प्रयोगशाला उपभोज्य सामग्री और लेखन सामग्री के स्टॉक का लागत पर मान ऑका जाता है।

iv) अचल परिसम्पत्तियाँ

अचल परिसम्पत्तियों का विवरण लागत पर दिया जाता है जिसमें से बट्टे खाते में डाले गए मूल्य पर संचित मूल्यहास घटा दिया जाता है।

2. लेखा पर टिप्पणियाँ

i) अविसंचरनात्मक विकास निधि [अनुसूची O-मद 3(बी)]- 1 अप्रैल 2000 को निधि में आंरभिक शेष रू. 2 978.56 लाख की राशि थी। रू. 520.67 लाख का व्यय हुआ/अग्रिम समायोजित किया गया 2000-01 के दौरान अधिग्रहण पर पूँजी परिसम्पत्तियाँ इस प्रकार हैं:

	(रूपये लाखो में)
भूमि जयपुर	225.63
कम्प्यूटरों सहित फर्नीयर और कार्यालय उपस्कर	154.61
लिफ्ट सहित मुख्यालय भवन मे परिवर्धन	44.43
पुस्तकालय में पुस्तकें	13.12
विश्वबैंक परियोजना उपकरण (अग्रिम समायोजन)	72.05
प्रयोगशाला उपस्कर (गैर योजनागत)	10.83
	520.67

यह अविसंरचनात्मक विकास निधि से रू. 520.67 लाख रूपये की राशि पूँजीगत निधि में स्थानान्तरित की गयी । रू. 378.89 लाख रूपये ब्याज से प्राप्त आय अविसंरचनात्मक विकास निधि में जमा की गयी। अतः उपरोक्त निधि में 31.3.2001 को शेष रू. 2836.78 लाख को अनुसूची 'O' में दर्शाये गये हैं।

APPENDIX-I

ACCOUNTING POLICIES/NOTES ON ACCOUNTS

ACCOUNTING POLICIES

Income & Expenditure Recognition

- a) Income is generally accounted on cash basis except interest income which is accounted on accrual basis.
- Expenditure is generally accounted as per mercantile system.

Investments ii)

Investments are stated at cost.

iii) Inventories

Stock of Indian Standards and other publications are not valued and accounted for in the Accounts as they have no ready marketable value. However, the stock of paper, laboratory consumables and stationery are valued at cost.

iv) Fixed Assets

Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation provided on written down value method.

2. NOTES ON ACCOUNTS

Infrastructure Development Fund [Schedule O- Item 3(b) - The opening balance in the fund as on 1 April 2000 amounted to Rs. 2978.56 lacs. An expenditure of Rs. 520.67 lacs was incurred/advance adjusted during 2000-01 on acquisition of capital Assets as under:

(Rs. in lacs) 154.61
225.63
44.43
13.12
72.05
10.83
520.67

This amount of Rs. 520.67 lacs was therefore, transferred to Capital Fund, out of Infrastructure Development Fund. The interest income of Rs. 378.89 lacs has been credited to Infrastructure Development Fund. The Balance in the said Fund as on 31.3.2001 thus stands at Rs. 2836.78 lacs as shown in Schedule 'O'.



ii) पेंशन निधि [अनुसूची O — मद 3 (सी)] — भा मा ब्यूरो की पेंशनी देयता के निर्धारण के लिए बीमार्किक की रिर्पोट नवंबर 2000 में प्राप्त हुई। बीमांकिक रिपोंट में विद्यमान पेंशनधारियों और वर्तमान कर्मचारियों के लिए पेंशन देयता का निर्धारण दिया है । रिर्पोट के अनुसार 1अप्रैल 2000 को शेष में से रू. 39.17 करोड़ की राशि विधमान पेंशनधारियों की देयता पुरी करने के लिए उद्दिष्ट की जा सकती है । वर्तमान कर्मचारियों के संबंध में कुल राशि 390 करोड़ रूपये है जो प्रतिवर्ष 19.50 करोड़ रूपयों के हिसाब से 20 वर्षो तक देने के लिए अपेक्षित होगी । वर्ष दर वर्ष दिन प्रतिदिन के पेंशन भगतान/देयताओं को आय और व्यय खाते में नामे डालने के बजाय सीधे पेंशन निधि लेखे में प्रभारित कर नामे डाला जा सकता है ।

बीमांकक की रिपोर्ट के साथ अनुरूपता में और एफ सी की दिनांक 5.2.2001 को हुई XII बैठक और दिनांक 4.4.2001 को संपन्न ईसी की 48वीं बैठक के अनुमोदन के अनुसार 31.3.2001 को पेंशन निधि में निम्नलिखित जमा के नामे डाले गए ।

- क) सामान्य रिर्जव निधि में रू. 1 124.47 लाख आरंग्भिक शेष होने के कारण पेंशन निधि को स्थानान्तरित किये गये ।
- ख) रू. 145.96 लाख आय और व्यय खाते में प्रभारित किये गये और पेंशन निधि में इनका प्रावधान होने के कारण पेंशन निधि में जमा किये गये ।
- ग) वर्ष 2000-01 के दौरान इस निधि के प्रति निवेश में से रू. 727.74 लाख रूपये की ब्याज से प्राप्त आय पेंशन निधि खाते मे जमा की गई।
- घ) वर्ष 2000-01 के दौरान सारांशीकरण और उपदान सहित कुल पेंशन भूगतान की राशि रु. 734.04 लाख थी और इसे पेंशन निधि खाते में नामे डाला गया ।

उपर्युक्त अतंरण के परिणाम स्वरूप पेंशन निधि की राशि 31.3.2001 को 5 878.68 लाख रूपये रही ।

iii) आग के कारण हानि — दिनांक 6.5.1999 को मानकालय भवन के तहखाने में आग लग गई । समिति रिपोर्ट अग्निकांड घटना पर समिति की क्षति मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार आग लगने से हुई हानि का अनुमान इस प्रकार है :

एचटी पैनल सहित स्थिर परिसम्पत्तियाँ (7.95 लाख), एलटी नियंत्रण पैनल (7.54 लाख) और कनेक्टेड केबल (6.60 लाख) 2209000 कागज पत्र और लेखन सामग्री की अन्य मदें 41985

वर्ष 1999-2000 की भा मा ब्यूरो की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लेखा परीक्षा अनुच्छेद संख्या 2 के अनुसार परिसम्पत्ति का मृल्य बटटे खाते में डाला जाना चाहिए और स्थिर सम्पत्ति की अनुसची से उसे हटा दिया जाना चाहिए इसी प्रकार मुद्रण कागज और अन्य लेखन सामग्री की मदों को बटटे

ii) Pension Fund [Schedule O - Item 3(c)] - The report of the actuary for assessing the pensionary liability of BIS was received in November 2000. The actuary in his report has given assessment of pension liability projected for existing pensioners and existing employees. As per the report, out of the balance as on 1 April 2000, an amount of Rs. 39.17 crore may be earmarked to meet the liability of the existing pensioners. As regards, the existing employees, a total amount of Rs. 390 crores is required by providing Rs.19.50 per annum for 20 years. The day to day pension payments/liabilities from year to year may be directly charged/debited to Pension Fund Account instead of debiting to Income & Expenditure Account.

In consonance with the actuary's report and as per the approval of FC in its XIIth meeting held on 5.2.2001 and EC in its 48th meeting held on 4.4.2001, the following credits/debits have been made to the Pension Fund as on 31.3.2001:

- Rs. 1 124.47 lacs being the opening balance in General Reserve Fund has been transferred to Pension Fund.
- Rs. 145.96 lacs has been charged to Income & Expenditure Account and credited to Pension Fund being provision to Pension Fund.
- The interest income of Rs. 727.74 lacs out of investment against this fund during 2000-01 has been credited to Pension Fund Account.
- The total pension payments including commutation and gratuity during 2000-01 amounted to Rs. 734.04 lacs and the same has been debited to the Pension Fund Account.

As a result of above transactions, the Pension Fund thus amounts to Rs. 5 878.68 lacs as on 31.3.2001.

iii) Loss due to Fire- Fire broke out in the basement of Manakalaya Building on 6.5.1999. As per the damage assessment report of the committee (committee on incidence of fire), the loss due to fire was estimated as

Fixed Assets consisting of HT Penal (7.95 lacs), LT Control Penal (7.54 lacs) and connected 2209000 Cables (6.60 lacs) 41985 Papers and other stationery items

As per the audit para No. 2 in the Audit Report of BIS for 1999-2000, the value of the asset should be written off and excluded from the fixed assets schedule. Similarly, the printing paper and other stationery items loss should



खाते में हानि के रूप में डाला जा सकता है । विनियमों के अनुसार, बट्टे खाते में डाली इन परिसम्पत्तियों और अन्य मदों के अनुमोदन की शक्ति कार्यकारी समिति को प्राप्त हैं। संबंधित विभाग द्वारा ईसी का अनुमोदन प्राप्त करना अभी शेष है । अतः बट्टे खाते इन परिसम्पत्तियों और अन्य वस्तुओं को बट्टे खाते डालने की प्रविष्टि वर्ष 2000-01 की लेखा पुस्तिकाओं में रिकार्ड नहीं की गयी चूँकि ईसी का निर्णय अभी प्रतिक्षित है ।

- iv) आवेदन, नवीकरण शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों पर ईसी के निर्णयों का कार्यान्वयन न होने के कारण देय— प्रमाणन देनदार क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा की गयी गणना के अनुसार रू. 24215608 की कुल राशि की वसूली की जानी है, जिसमें से 31 मार्च 2001 तक रू. 19333404 की वसूली की गयी। शेष वसूली की राशि 31.3.2001 को रू. 4882204.00 है जिसमें रू. 4574572 की राशि सन्दिग्ध मानी जा रही है।
- v) प्रमाणन शुल्क प्रमाणन शुल्क में सभी उत्पाद प्रमाणन, ईएमएस प्रमाणन, स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग, आयात प्रमाणन और विदेशों में किए गए निरीक्षण प्रभार से प्राप्त सभी प्रमाणन शुल्क शामिल हैं।
- vi) सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन व्यय (अनुसूची डी—मद 2)— बीमांकक की रिपोर्ट के अनुसार, कुल पेंशन भुगतान सारांशीकरण और उपदान सहित वर्ष 2000-01 में रू.734.04 लाख पेंशन निधि लेखे में नामे डाले गए। 1999-00 तक पेंशन व्यय (जैसा कि पेंशन निधि में अंशदान के रूप में) आय और व्यय में प्रभारित किया गया। यदि 2000-01 में भी पेंशन व्यय आय और व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता तो वर्ष का अधिशेष रू. 1 453.40 लाख के स्थान पर रू. 865.32 लाख होता (अर्थात रू. 1 453.40 लाख में से रू. 734.04 लाख, घटाकर और 145.96 लाख जोड़कर)
- vii) निवेश पर अर्जित ब्याज (अनुसूची बी—मद 1) वर्ष 2000-01 के दौरान भा मा. ब्यूरो द्वारा अर्जित कुल ब्याज की राशि रू. 122720454.00 थी जिसमें से रू.114030000.00 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उद्दिष्ट निधियों के लिए अंतरित किए गए हैं:

अविरांरचनात्मक विकास निधि क. 37889000.00 पेंशन निधि क. 72774000.00 विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि क. 3367000.00

板. 114030000.00

viii) विविध आय (अनुसूची बी—मद 3)—वर्ष 2000-01 के दौरान रू. 102.44 लाख की विविध आय विवरण अनुसूची बी में दर्शाए अनुसार निम्नलिखित है :

		(रू. लाख में)
क)	पुस्तकालय सदस्यता शुल्क	9.66
ख)	भर्ती प्राप्तियाँ	16.15
ग)	स्टैन्डर्ड इंडिया चंदा	13.10
घ)	वाहन ऋण से प्राप्त ब्याज	7.69
ड़)	गृह निर्माण ऋण से प्राप्त ब्याज	2.52

be written off as loss. As per the regulations, the power to approve these write off of assets and other items rests with Executive Committee. The approval of the EC is yet to be obtained by the subject matter department. Therefore, the entries for write off of assets and other items have not been recorded in the books of Accounts for the year 2000-01 awaiting decision of EC.

- iv) Certification Debtors due to non-implementation of EC's decision to revise the rates of Application, Renewal Fee and Annual Licence Fee— The total amount to be recovered as per the calculations made by Regional/Branch Offices amounted to Rs. 24215608 out of which amount recovered upto 31 March 2001 amounted to Rs. 19333404. The remaining amount recoverable as on 31.3.2001 amounted to Rs. 4882204.00 out of which Rs. 4574572 is considered to be doubtful.
- v) Certification Fee— The Certification Fee is inclusive of all fees from Product Certification, EMS Certification, Hall Marking of Gold Jewellary, Import Certification and Overseas Inspection Charges.
- vi) Retirement Benefits: Pension Expenditure (Schedule D—Item 2)— As per the actuary's report, the total pension payments including commutation and gratuity for the year 2000-01 amounting to Rs. 734.04 lacs have been debited to Pension Fund Account. Till 1999-00 the pension expenditure(as contribution to Pension Fund) was charged to Income & Expenditure Account. Had the pension expenditure of 2000-01 also been charged to Income & Expenditure Account, the surplus for the year would have been Rs. 865.32 lacs instead of Rs. 1453.40 lacs (that is Rs 1453.40 lacs minus Rs 734.04 lacs plus Rs 145.96 lacs).
- vii) Interest earned on Investment (Schedule B—Item 1)— The gross interest earned by BIS during 2000-01 amounted to Rs. 122720454.00 out of this Rs. 114030000.00 has been transferred to earmarked funds as under:

 Infrastructure Dev. Fund
 Rs. 37889000.00

 Pension Fund
 Rs. 72774000.00

 World Bank Loan Red. Fund
 Rs. 3367000.00

Rs. 114030000.00

viii) Miscellaneous Income (Schedule B — Item 3)— The detail of miscellaneous income of Rs.102.44 lacs shown under Schedule B during the year 2000-01 is as under:

		(Rs. in lacs)
a)	Library Membership Fee	9.66
b)	Recruitment Receipts	16.15
c)	Standards India Subscription	13.10
d)	Interest from Conveyance Loan	7.69
e)	Interest from House Building Loans	2.52



च)	के.स.स्वा. यो. अंशदान	5.19	f)	CGHS contribution	5.19
छ)	कर्म. भवि. नि. आयुक्त से वापस प्राप्त कैन्टीन कर्मचारियों की भामा ब्यूरो कर्मचारी के रूप में लेने पर कर्म.भ.नि.	9.22	g)	EPF of canteen employees received back from EPF Commissioner on their absorption as BIS employees	9.22
ज)	राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (निवल)	4.28	h)	National Quality Award (net)	4.28
哥)	क्षेत्रीय/शाखा का.में विविध प्राप्तियाँ	20.07	i)	Misc. Receipts at ROs/BOs	20.07
퍼)	आईईसीक्यू प्राप्तियाँ (भामा ब्यूरो का हिस्सा)	1.02	j)	IECQ Receipts (BIS Share)	1.02
ਰ)	सीपीएफ खाते में अधिशेष	1.05	k)	Surplus in CPF Accounts	1.05
ਰ)	लाइसेन्स शुल्क स्टाफ क्वार्टर	2.29	1)	Licence Fee Staff Quarters	2.29
ভ)	अन्य विविध प्राप्तियाँ मुख्यालय	10.04	m)	Other Miscellaneous Receipts HQ	10.04
		102.28			102.28

- ix) उपदान निधि [अनुसूची O— मद 2 (ए)] अनुमोदित बजट के अनुसार रू. 7.00 लाख उपदान निधि अंशदान के रूप में आय और व्यय खाते में उपदान निधि लेखे में संगत जमा सहित अनुकूल ऋण में प्रभारित किये गये। रू. 6.43 लाख का भुगतान सेवानिवृत कर्मचारियों को सीपीएफ के अन्तगर्त किया गया ।
- x) हितकारी निधि [अनुसूची O—मद 2 (बी)]— दिनांक 1.4.2000 को हितकारी निधि में आरंभिक शेष रू. 1.78 लाख था। प्राप्त अंशदान की राशि रू. 2.63 लाख थी, वर्ष के दौरान निधि से दिवंगत कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को किए गए भुगतान की राशि रू. 6.95 लाख है। अतः 31.3.2001 को हितकारी निधि रू. 2.54 लाख नामे शेष के रूप में दर्शाता है। हितकारी निधि के भुगतान की व्यवस्था के लिए भा मा ब्यूरों के लेखे से रू. 4.00 लाख का अस्थायी अंतरण हितकारी निधि में डाला गया जिसे निधि की भविष्य में जमा होने वाली राशि से समायोजित किया जाएगा।
- xi) सा.भ.नि. खाते में घाटा सामान्य भविष्य निधि खाते में आय से व्यय का अधिक्य रू. 9.38 लाख रहता है। रू. 9.38 लाख के घाटे का कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान डिपोजिट लिंक्ड बीमा योजना के कारण भुगतान और सेवानिवृति के कारण अंतिम निपटान (रू. 5.43 लाख) के अधिक मामले होने पर जिससे निवेश कम हुआ । इसे भविष्य निधि लेखे [अनुसूची डी (मद 1)] में अंशदान शीर्ष के अन्तर्गत आय और व्यय लेखे में प्रभारित किया गया, अंशदायी भविष्य निधि लेखे में वर्ष 2000-01 के दौरान रू. 1.05 लाख अधिशेष राशि की थी जिसे अन्य आय अनुसूची [अनुसूची बी (मद 3)] के अन्तर्गत लिया गया है ।
- xii) मानकों की बिक्री पर रॉयल्टी भारतीय मानकों की बिक्री [अनुसूची ए (मद 1)] शीर्ष के अन्तर्गत आय में रू. 72.19 लाख की रॉयल्टी शामिल है जो मैसर्स बुक सप्लाई ब्यूरो से सीडी रोम पर मानकों की बिक्री से प्राप्त हुई।
- xiii) प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान (अनुसूची एम—मद 11)—राष्ट्रीय हित में माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री महोदय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री राहतकोष में गुजरात

- ix) Gratuity Fund [Schedule O—Item 2(a)]—Rs. 7.00 lacs has been charged to Income & Expenditure Account towards contribution to Gratuity Fund with corresponding credit to Gratuity Fund Account as per the approved budget. A sum of Rs. 6.43 lacs was paid to retired employees under CPF.
- x) Benevolent Fund [Schedule O—Item 2(b)]— The opening balance in the Benevolent Fund as on 1.4.2000 amounted to Rs. 1.78 lacs. The contribution received amounted to Rs. 2.63 lacs. The payments out of the fund to legal heiress of deceased employees during the year amounted to Rs. 6.95 lacs. Therefore, the Benevolent Fund as on 31.3.2001 shows debit balance of Rs. 2.54 lacs. The payments out of Benevolent Fund were arranged by way of temporary transfer of Rs. 4.00 lacs to the Benevolent Fund from BIS Account which will be adjusted against the future credits of the Fund.
- xi) Deficit in GPF Accounts—The excess of expenditure over income in the GPF Account amounted to Rs. 9.38 lacs. The deficit of Rs. 9.38 lacs has resulted due to payment (Rs.5.43 lacs) on account of Deposit Linked Insurance Scheme and due to more cases of final settlement on account of retirement causing less amount of investment during 2000-01 as compared to last year. This has been charged to Income & Expenditure Account under the head Contribution to Provident Fund Account [Schedule D Item 1). In the CPF Accounts, there was a surplus of Rs. 1.05 lacs during 2000-01 which has been taken under other income schedule (Schedule B—Item 3).
- xii) Royalty on Sale of Standards —The income under the head Sales Indian Standard (Schedule A—Item 1) includes Royalty of Rs. 72.19 lacs received from M/s. Book Supply Bureau for sale of standards on CD ROM.
- xiii) Contribution to Prime Minister Relief Fund (Schedule M Item 11)—As per the decision taken by Hon. Minister of Consumer Affairs, Food and Public Dis-



में आये भूकंप के लिए रू. 100.00 लाख का अंशदान दिया गया जिसके लिए ईसी से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया ।

xiv) आयकर में छूट— कर निधार्रण वर्ष 1998-99 से 2000-01 के लिए भा मा ब्यूरो को आयकर अधिनियम 1961 के खण्ड 10 (23सी) (iv) के अर्न्तगत अधिसूचना संख्या 10629/15.6.1998 द्वारा अधिसूचित किया गया है। भा मा ब्यूरो द्वारा इस प्रकार की परवर्ती वर्षों के लिए छूट हेतु दिया गया आवेदन पत्र आयकर विभाग के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है।

xv) पिछले वर्ष के ऑकड़े— वर्ष 1999-00 के दौरान आईएसओं को रू. 8.00 लाख का अंशदान गलती से आईईसी के खाते (जर्नल वाउचर सं. 1434) में प्रभारित किया गया था। इसे इन खातों में सही प्रदर्शित किया गया है जिससे आय और व्यय खाते में अथवा 1999-00 के तुलन पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

xvi) पिछले वर्षों के आँकड़ों को इस वर्ष के समूह से एकरूप करने के लिए इनमें जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया वहाँ उन्हें निम्नानुसार पुनः समूहबद्ध किया गया:-

tribution in the national interest, a sum of Rs. 100.00 lacs was contributed to the Prime Minister Relief Fund for the Gujarat Earthquake for which post facto approval was obtained from EC.

xiv) Income-tax Exemption— BIS has been notified under Section 10(23C)(iv) of the Income-tax Act, 1961, vide Notification No. 10629/15.6.98 for the Assessment Years 1998-99 to 2000-01. The application of BIS for similar exemption for the subsequent years is under process with Income-tax Department.

xv) Previous year Figures— During 1999-00 Expenditure of Rs. 8.00 lacs towards subscription to ISO was wrongly charged to IEC Account (Journal Voucher No. 1434) This has been shown corrected in these accounts which does not have any effect either on the Income & Expenditure Account or on the Balance Sheet of 1999-00.

xvi) The previous years figures have been regrouped wherever found necessary in line with this year's grouping as under:

अनुसूची Schedule		-2000) के आँकड़े 999-2000) Figures	कारण Reasons			
	वर्ष 1999-2000 वार्षिक लेखे के अनुसार अनुसूचियों का योग Total of Schedule as per 1999-2000 Annual Accounts	वर्ष 2000-2001 वार्षिक लेखे के अनुसार अनुसूचियों का योग Total of Schedule as per 2000-2001 Annual Accounts				
अनुसूची 'ओ' — रिजर्व और निधियाँ Schedule 'O'— Reserve & Funds	1322275970.00	1321677888.00	यह पाया गया कि क्वासम परियोजना (वसूलीयोग्य राशि) शेष रू. 598082 की राशि निधि शेष नहीं थी अपितु वह चालू देयता थी। अतः इसे अनुसूची 'टी'- चालू देयता में शामिल किया गया और अनुसूची 'ओ' से हटा दिया गया है। It was observed that the balance in QAWSM Project (Amount Refundable) amounting to Rs. 598082 was not a fund balance but a current liability. Therefore it was included in			

from Schedule 'O'



अनुसुची 'टी'---28548519.00 29146601.00 चाल देयता Schedule 'T'-**Current Liabilities** from Schedule 'O' अनुसूची 'आर'-1211915621.00 1193011804.00 निवेश Schedule 'R'-Investment अनुसूची 'एस'-274328611.00 293232428.00 चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम Schedule 'S'-Current Assets Loans & Advances दिया गया।

यह पाया गया कि क्वासम परियोजना वसूलीयोग्य राशि रू. 598082 की राशि निधि शेष नहीं थी अपितु यह चालू देयता है । अतः यह अनुसूची 'टी' — चालू देयता में शामिल किया गया और अनुसूची 'ओ' से हटा दिया गया। It was observed that the balance in QAWSM Project (Amount Refundable) amounting to Rs. 598082 was not a fund balance but a current liability. Therefore it was included in Schedule T-Current Liabilities and excluded

यह पाया गया था कि सा.भ.नि./अं.भ.नि (18664047+239770=18903817) के अंतर्गत अग्रिम निवेश की प्रकृति के नहीं हैं । उन्हें निवेश के भाग का भाग नहीं होना चाहिए । इसलिए इन्हें अनुसूची 'एस' — 'चाल परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम' में शामिल किया गया और अनुसूची आर — 'निवेश' से हटा दिया गया।

It was observed that the Advances under GPF/ CPF (18664047 + 239770=18903817) are not of the nature of investments. They should not form the part of investments. Therefore, the same were included in Schedule 'S' - 'Current Assets', Loans & Advances' and excluded from Schedule - 'Investments'

यह पाया गया था कि अ.भ.नि. (18664047+239770= 18903817 के अंतर्गत अग्रिम निवेश की प्रकृति के नहीं हैं। उन्हें निवेश के भाग का भाग नहीं होना चाहिए। इसलिए इन्हें अनुसूची -'एस'—'चालु परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम' में शामिल किया गया और अनुसूची आर—'निवेश' से हटा

It was observed that the Advances under GPF/ CPF (18664047 + 239770 = 18903817) are not of the nature of investments. They should not form the part of investments. Therefore, the same were included in Schedule 'S' - 'Current Assets, Loans & Advances' and excluded from Schedule R - 'Investments'



परिशिष्ट-॥

31.3.2001 को निवेश का विवरण

- 1. विशिष्ट निधियों का निवेश
- वैंकों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में निवेश

7	सं. संस्थान का नाम	धनराशि (रु. लाख में)
1.	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	50.00	
2.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	100.00	
3.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	50.00	
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम	200.00	
5.	गोदावरी मराठावाड़ा सिंचाई विकास निगम	250.00	
6.	हुडको	352.93	
7.	आईसीआईसीआई	470.00	
8.	आईडीबीआई	1000.00	
9.	आईएफसीआई	1180.00	
10.	जम्मू और कश्मीर राज्य पावर विकास निगम लिमिटेड	100.00	
11.	कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड	440.00	
12.	하고 있다.	100.00	
13.	केरल राज्य विद्युत बोर्ड	100.00	
14.	9	50.00	
	निगम लिमिटेड		
15.	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	100.00	
16.	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	300.00	
17.	उ.प्र. लिमिटेड का प्रदेशीय	200.00	
	औद्योगिक विकास		
18.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	300.00	
19.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	157.00	
20.	राजस्थान राज्य औद्योगिक और	300.00	
	निवेश निगम लिमिटेड		
21.	सेल	50.00	
22.	भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड	160.00	
23.	तमिलनाडु औद्योगिक विकास	200.00	
	निगम लिमिटेड		
24.	यू.पी. स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड	200.00	
25.	The state of the s	20.00	
	वित्त निगम लिमिटेड		
26.	यूटीआई (यूएस-64)	16.95	6446.88
ख.	बैंकों में निवेश (एफडी)		3260.77
	योग		9707.65

APPENDIX-II

DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2001

1. INVESTMENT OF SPECIFIED FUNDS

A. Investment with PSUs & Financial Institutions Other than Banks

SI. N	o. Name of Institution	Amount (Rs. in lacs)	
1.	Andhra Pradesh Industrial Dev. Corp.	50.00	
2.	Andhra Pradesh State Elec. Board,	100.00	
3.	Hindustan Copper Ltd.	50.00	
4.	Himachal Pradesh State Forest Corp.	200.00	
5.	Godavari Marathwara Irrigation Dev. Corp.	250.00	
6.	HUDCO	352.93	
7.	ICICI	470.00	
8.	IDBI	1000.00	
9.	IFCI	1180.00	
10.	J&K State Power Devp. Corpn. Ltd.	100.00	
11.	Krishna Bhagya Jal Nigam Ltd.	440.00	
12.	Kokan Railway Corpn. Ltd.	100.00	
13.	Kerala State Elec. Board	100.00	
14.	Maharashtra Krishna Valley Dev. Corpn. Ltd	. 50.00	
15.	Madhya Pradesh Electricity Board	100.00	
16.	M.P. State Indl. Dev. Corpn.	300.00	
17.	Pradeshiya Indl. Corpn. of U.P. Ltd.	200.00	
18.	Punjab State Electricity Board	300.00	
19.	Rajasthan State Elec. Board	157.50	
20.	Raj. State Indl. & Investment Corp. Ltd.	300.00	
21.	SAIL	50.00	
22.	Tourism Finance Corp. of India Ltd.	160.00	
23.	Tamil Nadu Indl. Dev. Corp. Ltd.	200.00	
24.	U.P. Spg. Mills Fed. Ltd.	200.00	
25.	West Bengal Infrastructure Dev. Fin. Corpn.	Ltd. 20.00	
26.	UTI (US-64)	16.45	6446.88
В.	Investment with Banks (FDs)		3260.77
	Total		9707.65



2.	कर्मचारी निधि का निवेश			2.	INVESTMENT OF EMPLOYEES	FUNDS	
2.1	अंशदायी भविष्य निधि			2.1	Contributory Provident Fund		
	i) विशेष जमा में निवेश	59.96	59.96		i) Investment in special Deposit (RBI)	59.96	59.96
	(आरबीआई)			2.2	General Provident Fund		
2.2	सामान्य भविष्य निधि				i) Investment in special deposit (RBI)	2548.26	
	i) विशेष जमा में निवेश	2548.26			ii) Govt. of India Securities	38.95	
	(आरबीआई)				iii) State Govt. Securities	19.85	
	ii) भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	38.95			iv) Investment in Bonds & Deposits with		
	iii) राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	19.85			Financial Institutes & Others		+
	iv) वित्तीय संस्थाओं और अन्य में ब्रांड औ	₹			a) IDBI	450.80	
	जमाओं में निवेश				b) IFCI	285.00	
	क) आईडीबीआई	450.80			c) Karnataka State Electricity Board	80.00	
	ख) आईएफसीआई	285.00			d) Punjab State Electricity Board	80.00	
	ग) कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	80.00			e) Andhra Pradesh Infrastructure	100.00	
	घ) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	00.08			Dev. Corp. Ltd.		
	ड.) आन्ध्र प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नि.र्			-	f) West Bengal Infrastructure Dev. Corp. Ltd	105.00	
	च) पश्चिम बंगाल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नि				g) M.P. State Indl. Devp. Corp. Ltd.	45.00	
	छ) मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास नि				h) Krishna Bhagya Jal Nigam Ltd.	175.00	
	ज) कृष्णा भाग्य जल नि.लि.	175.00			i) Vidharba Irrigation Dev. Corp. Ltd.	42.00	
	झ) विदर्भ सिंचाई विकास नि.लि.	42.00					4014.86
	ञ) भारतीय पर्यटक वित्त नि.लि.	45.00	4014.86		j) Tourism Finance Corp. of India Ltd.	45.00	4014.00
3.	निवेश (अन्य)			3	INVESTMENT (OTHERS)		
	i) योजनागत परियोजना में से -		43.29		i) Out of Plan Projects-Fixed Deposits with		
	सेन्ट्रल बैंक में सावधि जमा				Central Bank of India		43.29
	ii) एबीओ भवन परियोजना-		13.00		ii) ABO Building Project—Fixed Deposit		
	सिंडीकेट बैंक में सावधि जमा				Syndicate Bank.		13.00
	कुल योग		13838.76		GRAND TOTAL		13838.76



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली-110 002

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

नि भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा दिनांक 31 मार्च, 2001 के तुलन पत्र की जांच कर है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनायें और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन अपनी लेखा ।रीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिए गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गए हैं, भारतीय मानक ब्यरो, नई दिल्ली के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता./(पी शेष कुमार)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 21 फरवरी 2002

Office of the Principal Director of Audit Economic and Service Ministries, New Delhi-110 002

Audit Certificate

I have examined the Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2001 and the Balance Sheet as on 31st March, 2001 of Bureau of India Standards, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended audit report. I certify as a result of my audit, that in my opinion these Accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bureau of India Standards, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd./(P. SESH KUMAR)
Principal Director of Audit
Economic and Service Ministries

Place : New Delhi

Dated: 21 February 2002



वर्ष 2000-2001 के लिए भारतीय मानक ब्यूरों के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. परिचय

भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) की स्थापना 1अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अधिनियमन के साथ एक सांविधिक निकाय के रूप में हुई। इसने पूर्ववर्ती भारतीय मानक संस्था की सभी गतिविधियों, जैसे गुणता आश्वासन पर उत्पाद प्रमाणन, परामर्शी सेवाएँ, परीक्षण इत्यादि को सँभाला।

ब्यूरों की गतिविधियों के लिए वित्त प्रमाणन मुहर शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री और केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान ब्यूरों ने केन्द्र सरकार से रू. 1.60 करोड़ गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त किया ।

ब्यूरों के लेखों की लेखा-परीक्षा भारतीय मानक ब्यूरों अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत खण्ड 22 (2) और नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के खण्ड 19(2) के अधीन की गयी।

लेखों पर टिप्पणियाँ पक्का चिट्ठा

2.1 चालू परिसम्पतियों का न्यून विवरण

क. 5.42 करोड़ क. की राशि के न बिके समूल्य तेजी से बिकने वाले/विशेष भारतीय मानक और अन्य प्रकाशन अनुसूची 'एस'—चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम में दर्शाई गई 'चालू परिसंपत्तियाँ' के स्टॉक में शामिल नहीं किए गए। यह मूल्य अन्य समूल्य भारतीय मानकों (सं. 1 से 15000) जिनका लेखापरीक्षण में संबद्ध स्टॉक रिकार्ड (प्राप्ति,जारी करना तथा न बिक्री सामग्री का शेष) के अपूर्ण दोषपूर्ण रखरखाव और वित्तीय वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन न करने में परिकलन करना संभव नहीं था। अतः तुलन-पत्रों की अनुसूची 'एस' — चालू परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिम में दर्शाई गई चालू परिसंपत्तियों का अन्य समूल्य भारतीय मानकों, जो 31.3.2001 तक नहीं बिके, के विपणनीय मूल्य के अलावा तेजी से बिकने वाले विशिष्ट भारतीय मानकों और अन्य समूल्य प्रकाशनों के बिना बिके स्टॉक के संदर्भ में रू. 5.42 करोड़ की सीमा तक न्यून विवरण दिया गया।

2.2 अनुसूची 'एस' — चालू पिरसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में संसूचित रू. 118.83 लाख (रू. 47.20 लाख प्रकाशनों की बिक्री के और रू. 71.63 लाख प्रमाणन के) की राशि के फुटकर देनदारों मे रू. 33.10 लाख (रू. 24.12 लाख प्रमाणन के और रू. 8.98 लाख बिक्री के) की बकाया राशि भी शामिल है, जो 1996-97 से पहले के वर्षों से संबद्ध है और जिसकी देनदारों से बकाया शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई और यह इस तथ्य के बावजूद हुआ कि रू. 34308 की राशि के देनदारों की पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (रू. 14308.00) और भोपाल शाखा कार्यालय (रू. 17070) और कानपुर शाखा कार्यालय (रू. 2930) द्वारा पहचान ''संदिग्ध देनदारों'' के रूप में पहले ही की जा चुकी थी।

इसी प्रकार, शुल्क के बकाये के संशोधन के कारण रू. 48.82 लाख की राशि के फुटकर देनदारों में क्षेत्रीय कार्यालयों शाखा कार्यालयों द्वारा विधिवत् ''संदिग्ध देनदार'' के रूप में पहचाने गए रू. 45.75 लाख के सदिग्ध देनदार भी शामिल हैं।

Audit Report on the Accounts of Bureau of Indian Standards for the Year 2000-01

1. Introduction

The Bureau of Indian Standards (BIS) was established as a statutory body with effect from 1st April, 1987 with enactment of *Bureau of Indian Standards Act*, 1stook over all activities, *viz.* product certification on quassurance, consultancy services testing etc. of the enwhile Indian Standards Institution.

The activities of the Bureau are financed from receipt of fees for certification mark, licence fees, sale of publications and grant from Central Government. During 2000-01, non-recurring grant of Rs. 1.60 crore has been received by the Bureau from the Central Government. The audit of the accounts of the Bureau was conducted under Section 22(2) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 and Section 19(2) of Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

2. Comments on Accounts

Balance Sheet

2.1 Understatement of Current Assets

Marketable Value of unsold priced fast-selling/special Ir dian Standards and other publications amounting of Rs. 5.42 crore was not included in - Stock of "current assets" depicted in Schedules 'S' - Current Assets, Loans and Advances. This value is excluding the marketable value of other priced Indian Standards (from No. 1 to 15000) which audit was not able to calculate due to deficient/faulty main tenance of concerned stock-records (receipt, issue and balance of unsold material) and non-conducting of physical verification at the end of financial year. Thus current assets depicted in Schedule 'S' - Current Assets, Loans and Advances of Balance Sheet were understated to the extent of Rs. 5.42 crore in respect of unsold stock of fast selling/special Indian Standards and other priced publication besides marketable value of other priced Indian Standards that remained unsold as on 31.3.2001.

2.2 Sundry Debtors amounting to Rs. 118.83 lakh (Rs. 47.20 lakh of Sale of Publication and Rs. 71.63 lakh of certification) indicated in Schedule 'S' — Current Assets, Loans and Advances included outstanding amount of Rs. 33.10 lakh (Rs. 24.12 lakh of certification and Rs. 8.98 lakh of sale) relating to the years prior to 1996-97 without getting confirmation of outstanding balances from the debtors and despite the fact that debtors amounting to Rs. 34308 had already been identified as Doubtful Debtors' by the Eastern Regional Office (Rs. 14308.00), Bhopal Branch Office (Rs. 17070) and Kanpur Branch Office (Rs. 2930).

Similarly, 'Sundry Debtors' amounting to Rs. 48.82 lakh on account of revision of arrears of fees included doubtful debtors amounting to Rs. 45.75 lakh duly identified by Regional offices/Branch offices.



स्थिर परिसंपत्तियों का न्यूनविवरण

2.3 अनुसूची 'एस'— चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम—मद (3) (सी) में दिखाये गए रू. 287.33 लाख के कुल समायोज्य अग्रिम में से रू. 132.88 लाख (रू. 107.02 लाख विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत तथा 25.86 लाख योजनागत परियोजना के अन्तर्गत) की राशि का भुगतान ाला उपस्करों की खरीद के लिए किया गया था जिसमें से रू. .66 लाख (रू. 107.02 लाख विश्व बैंक परियोजना और रू. 10.64 ाख योजनागत परियोजना के उपस्कर भा मा ब्यूरो में पहले ही प्राप्त हो चुके हैं किंतु इन्हें न तो स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और न ही उनकी प्राप्ति की तिथियों से उन पर किसी प्रकार का मूल्यहास प्रभारित किया गया हैं। इस प्रकार रू. 117.66 लाख की सीमा तक स्थिर परिसंपत्तियों का न्यून विवरण दिया गया और समायोज्य अग्रिम का इस सीमा तक अधिविवरण किया गया है । संदिग्ध देनदारों के रूप में ण्हले ही की जा चुकी है ।

- 2.4 स्थिर सम्पत्तियों में बिजली के क्षतिग्रस्त उपकरणों (मई 1999 में) जैसे ्चटी/एलटी पैनल और केबल इत्यादि का मूल्य रू. 22.09 लाख शामिल है जिसे परिसम्पत्ति से हटा दिया जाना चाहिए था । अतः स्थिर परिसम्पत्ति ं मूल्य का वर्ष 1999-2000 में इस सीमा तक अधिविवरण दिया गया 官
- 2.5 आग (मई 1999 में) लगने से मुद्रण के कागज और अन्य लेखन नामग्री की मदें, जिनकी कीमत रू. 41985 थी, भी क्षतिग्रस्त हुई थीं, लेकिन इन्हें बट्टखाते में नहीं डाला गया है । इसके बजाय उनका मूल्य यय खाते में शामिल किया गया। अतः अनुसूची 'एच' में उत्पादन की लागत का वर्ष 1999-2000 में सीमा अधिविवरण दिया गया है ।

3. सामान्य

दिनांक 31.3.2001 को बैंक समाशोधन की स्थिति इस प्रकार शी:

Understatement of Fixed Assets

2.3 Out of total adjustable advances of Rs. 287.33 lakh shown in Schedule 'S' - Current Assets, Loans and Advances-Item (3)(c), a sum of Rs. 132.88 lakh (Rs. 107.02 lakh under World Bank Projects and Rs. 25.86 lakh under Plan Projects) were paid towards purchase of Lab Equipment against which lab equipment amounting to Rs. 117.66 lakh (Rs. 107.02 lakh under World Bank Projects and Rs. 10.64 lakh under Plan Projects) had already been received in BIS but the same were neither shown in the schedule of Fixed Assets nor any depreciation was charged on them from the dates of their receipt. Thus fixed assets were understated to the extent of Rs. 117.66 lakh and adjustable advances overstated to that extent.

- 2.4 Fixed Assets included value of damaged electrical components (in May, 1999) viz. IIT/LT panel and cable etc. amounting to Rs. 22.09 lakh which should have been excluded because of non-existence of these assets. Thus value of fixed assets was overstated to that extent in the year 1999-2000.
- 2.5 Printing paper and other stationery items worth Rs. 41985 were damaged in fire (in May 1999) but the same has not been written off. Instead, their value has been booked as expenditure and included in the Income & Expenditure Account. Thus the cost of production in Schedule 'H' was overstated to that extent in the year 1999-2000.

3. General

3.1 The position of Bank Reconciliation as on 31.3.2001 was as under.

(रुपये लाख में Rs. in lakh)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	कुल Total
चैक जारी किए गए लेकि उनका भुगतान नहीं हुआ Cheques issued but not paid	-	_	_	-	_	35700	11400	11886320	11933420
चैक जमा किए गए लेकिन राशि जमा नहीं हुई Cheques deposited but not credited	- -	_	600		4000	12000	_	9728762	9745362
असमायोजित बैंक जमा Unadjusted bank credits	_	_	-	-	_	_	_	4862	4862
असमायोजित बैंक नामे Unadjusted bank debits	27720	5483	_	67642	11543	14000	1200	19875	147463



उपरोक्त ब्यौरे से यह प्रतीत होगा कि रू. 16600.00 के चैक बैंक में जमा किये गये जिनकी जमा राशि भामाब्यूरों को नहीं प्राप्त हुई किंतु इन चैकों के कालातीत होने के बावजूद इन चैकों की राशि बैंक शेष में शामिल की गयी। अतः वास्तविक बैंक शेष का रू. 16600.00 की सीमा तक अधिविवरण दिया गया है।

इसी प्रकार रू. 112388.00 के बैंक नामे 3 वर्षों (1992-93 से 1997-98 तक) से भी अधिक समय तक बैंको में समाशोधन की प्रतीक्षा में असमायोजित पड़े हैं।

3.2 भा मा ब्यूरो, मुख्यालय और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में उपलब्ध स्थिर परिसम्पत्तियों और चालू परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन उनकी स्टॉक स्थिति के संदर्भ में पृथक् रूप से नहीं किया गया ।

4. लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

4.1 पूर्ववर्ती अनुच्छेदों मे दी गई टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि 31.3.2001 को रू. 636.98 लाख की परिसम्पत्ति का न्यून विवरण दिया गया है।

हस्ता./-प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा The above details will indicate that cheques amounting to Rs. 16600.00 were deposited with the banks for which credits were not afforded to BIS. Despite the fact that the cheques had become time barred, the amount of these cheques was included in bank balance. Thus the actual bank has been overstated to the extent of Rs. 16600

Similarly, bank debits of Rs. 112388.00 lying unad for more than 3 years (1992-93 to 1997-98) were awareconciliation with the banks.

3.2 Physical verification of the fixed assets and current assets available in BIS HQ and Regional offices/Branch offices with reference to their stock position was not conducted separately.

4. Effect of Audit Comments

4.1 The net impact of the comments given in preceding paras is that assets as on 31.3.2001 were understated to the extent of Rs. 636.98 lakh.

Sd./-

Principal Director of Audit

